एच ई सी

गुणवत्ता नीति

QUALITY POLICY

''ग्राहक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं
के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, प्रणालियों
एवं सेवाओं के विश्वसनीय सप्लायर
के रूप में अग्रणी स्थान प्राप्त करना
तथा उसे बनाये रखना''

"TO ACHIEVE AND MAINTAIN A LEADING POSITION
AS A SUPPLIER OF RELIABLE QUALITY PRODUCTS,
SYSTEMS AND SERVICES TO MEET CUSTOMER
NEEDS AND EXPECTATIONS"

: अनुक्रमणिका :

1.	वार्षिक आमसभा की सूचना	:	02
2.	निदेशकीय प्रतिवेदन	:	03
3.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा की टिप्पणियाँ और उत्तर	:	13
4.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं उत्तर	:	14
5.	तुलन – पत्र	:	24
6.	लाभ और हानि लेखा	:	25
7.	अनुसूचियाँ	:	26
8.	अतिरिक्त सूचनाएँ	:	40
9.	महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण	:	47

निदेशक मंडल

(10.09.2008)

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक	:	श्री जी. के. पिल्लई
निदेशक (कार्मिक)	:	श्री एम. आर. वेणुगोपाल
निदेशक (वित्त)	:	श्री आर. मिश्रा
निदेशक (विपणन)	:	श्री भरत प्रसाद
निदेशक (उत्पादन)	:	श्री एस. के. चौधरी
निदेशकगण	:	श्री बी. बी. सिंह
	:	श्री आर. अशोकन
	:	श्री वी. के. श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव	:	श्री अभय कुमार कंठ
सांविधिक लेखा परीक्षक	:	मेसर्स सलारपुरिया जाजोदिया (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)
बैंकर्स	:	भारतीय स्टेट बैंक
पंजीकृत कार्यालय	:	प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा राँची – 834 004 (झारखण्ड)

वार्षिक आमसभा की सूचना

एतद् द्वारा हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 49वीं वार्षिक आमसभा सोमवार, दिनांक 29 सितम्बर 2008 को 11.30 बजे अपराह्न राँची स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित कारोबार के संपादन के लिए होगी :–

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शेयरधारकों हेतु निदेशकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
2. 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ–हानि लेखा और उसी तिथि को तुलन–पत्र के साथ लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और इस पर हमारे उत्तर को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
3. वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के तहत अंकेक्षक की नियुक्ति एवं सांविधिक अंकेक्षक के लिए पारिक्रमिक नियत करने हेतु निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

बोर्ड के आदेशानुसार

ह0/–

(अभय कुमार कंठ)

कम्पनी सचिव

दिनांक : 03.09.2008

टिप्पणी : सभा में उपस्थित होने तथा मत देने के अधिकारिक कंपनी सदस्य अपने बदले में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए प्रतिनिधि (प्रौक्सी) नियुक्त करने के लिए अधिकृत हैं और उक्त प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

निदेशकीय प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयर धारकों
हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

सज्जनों,

आपके निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष का अंकेक्षित लेखा सहित कंपनी की 49वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

1. निष्पादन विशेषताएं

आपको सूचित करते हुए हमें अतीव प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने समापन वित्तीय वर्ष में सराहनीय उन्नति की है। अपर्याप्त कार्यशील पूँजी के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध बिक्री में 37% तक वृद्धि होकर रु. 372.54 करोड़ एवं उत्पादन में 36.34% तक वृद्धि हो कर रु. 382.86 करोड़ तक इजाफा हुआ।

2. उत्पादन एवं बिक्री

वर्ष के निष्पादन आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में निम्नवत हैं :-

(रु. करोड़ में)

	2007-2008		2006-2007
	बजट	वास्तविक	वास्तविक
शुद्ध बिक्री	329.89	372.54	271.71
उत्पादन	333.14	382.86	280.81

3. वित्तीय परिणाम

(रु. करोड़ में)

	2007-2008		2006-2007
	बजट	वास्तविक	वास्तविक
सकल सीमान्त	30.00	35.24	27.51
ब्याज	24.00	27.47	21.32
मूल्य ह्रास	4.74	3.60	3.30
बी.आर.एस. व्यय के पूर्व	(+) 1.26	(+) 4.17	(+) 2.89
शुद्ध लाभ (+)/हानि (—)	—	—	0.03
बी.आर.एस. व्यय			
बी.आर.एस. व्यय के उपरांत	(+) 1.26	(+) 4.17	(+) 2.86
शुद्ध लाभ (+)/हानि (—)			
नगद उपार्जन (+)/हानि (—)	24.50	26.94	21.47

कंपनी की इक्विटी 31.03.2008 को विगत वर्ष के रु. 453.24 करोड़ के उसी स्तर पर स्थिर रही। वर्ष के दौरान कंपनी ने केन्द्र एवं राज्य राजकोष को पिछले वर्ष के रु. 52.30 करोड़ की तुलना में रु. 62.96 करोड़ का अंशदान किया।

4. विपणन कार्यकलाप

प्राप्त कार्यादेश एवं कार्यादेश की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी ने रु. 396.56 करोड़ का कार्यादेश प्राप्त किया, जो वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से 25.89% अधिक है।

कंपनी की कार्यादेश की स्थिति में 01.04.2008 के अनुसार अंतर प्लांट अंतरण छोड़कर रु. 681.27 करोड़ तक अभिवृद्धि हुई है।

अवधि के दौरान महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये गये

- ➢ एचईसी एवं बीएसपी के बीच 17 अदद ईओटी क्रेन आपूर्ति के लिए औपचारिक समझौता पर हस्ताभर किये गये।
- ➢ एचईसी एवं बीएसएल के बीच 57 अदद ईओटी क्रेन की आपूर्ति के लिए औपचारिक समझौता किया पर हस्ताक्षर किये गये।
- ➢ एचईसी एवं डीएसपी के बीच 13 अदद क्रेन की आपूर्ति के लिए औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
- ➢ एचईसी एवं सेल के बीच में मेकेनिकल इक्वीपमेंट्स टेक्नोलोजिकल एण्ड विल्डिंग स्ट्रक्चर, ट्रांसफर कार, टारपिडो लैडल, रॉल्स आदि की आपूर्ति के लिए औपचारिक समझौता पर हस्ताक्षर किये गये।
- ➢ एचईसी एवं ट्रेफेल्गर/फाइन ओर टेक्नोलोजिस गुड़गाँव के बीच परियोजना हेतु संयुक्त बोली के लिए एमओयू किया गया जहाँ मेसर्स ट्रेफल्गर द्वारा प्रौद्योगिकी सहयोग की पहचान की जायेगी।

प्रोजेक्ट कार्यकलाप

फिलहाल प्रोजेक्ट डिवीजन एनसीएल सिंगरौली के लिए निगाही कोल हैण्डलिंग प्लांट (फेज-II पैकेज-बी) को टर्न की आधार पर कार्य निष्पादन कर रहा है। कुल मिला कर प्रोजेक्ट का कार्य निष्पादन साईट पर 82% से अधिक का हुआ है। वर्ष 2007-08 के दौरान रु. 50 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध रु. 65.02 करोड़ के उत्पादन अर्जित किया।

निकट भविष्य में महत्वपूर्ण कार्यादेश प्राप्त होने की संभावना है।

तुलन पत्र तिथि के उपरांत महत्वपूर्ण उपलब्धि

मेसर्स भेल के कास्टिंग एवं फोर्जिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप कार्य करने के लिए मेसर्स एचईसी एवं मेसर्स भेल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।

रु. 1452 करोड़ राशि के तीन महत्वपूर्ण कार्यादेश अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धात्मक

बोली के विरुद्ध भिलाई स्टील प्लांट एवं राउरकेला स्टील प्लांट से प्राप्त हुए।

व्यापार परिदृश्य एवं भविष्य के आसार

फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त गतिशीलता आई है। भारत सरकार के पास आधारभूत संरचना एवं संचार सुविधा के विकास के लिए रु. 150,000 करोड़ से भी अधिक निवेश करने का प्रस्ताव है। ऐसे परिदृश्य में भारतीय इस्पात उद्योग निरंतर विकास के पथ पर गतिमान होगा। तद्नुसार घरेलू इस्पात उद्योग में प्रति वर्ष 2012 तक 10 से 12% की दर से इजाफा होने की संभावना है। ग्लोबल इस्पात उद्योग में तेजी जारी रहने की वजह से सभी मुख्य इस्तापत उत्पादक यथा सेल, टिस्को, जिंदल, मित्तल, एस्सार आदि कंपनियों के पास 2012 तक रु. 2,77,000 करोड़ एवं 2020 तक रु. 8,70,000 करोड़ अपने आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण योजना में भारी पूँजी निवेश करने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त निवेश आसार, पूँजीगत उपकरणों की आवश्यकता पुराने प्लांटों एवं उपकरणों की पुनर्मरम्मती के साथ फोर्ज्ड रॉल्स, अतिरिक्त पुरजों के नियमित आवश्यकता के मद्दे नजर इस्पात क्षेत्र में व्यापार की वृद्धि की पूरी संभावना है।

इसी तरह मुख्य कोयला उत्पादकों ने कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खदानों के विकास हेतु बड़ी मात्रा में निवेश करने की योजना तैयार की है। कोल इंडिया के पास 11वीं पंच वर्षीय योजना में रु. 18000 करोड़ की राशि निवेश करने का प्रस्ताव है। सीआईएल की अनुषंगी इकाइयां एवं एससीसीएल, एनएमडीसी एवं सेल खदानों से भारी संख्या में हेवी अर्थ मूविंग मशीन की मांग होगी।

इसके अलावे आपकी कंपनी सामरिक तथा रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कंपनी को उम्मीद है कि इसरो, वीएसएससी, रक्षा यूनिट, कॉफमॉव आदि से नये मशीन टूल्स के लिए मेकेनिकल पैकेज एवं उच्च कीमत के और अधिक कार्यादेश प्राप्त होंगे। अतएव कंपनी का भविष्य उज्जवल है।

5. बी.आइ.एफ.आर. एवं पुनरुत्थान पैकेज

कंपनी एवं भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), भारत सरकार ने बीआईएफआर द्वारा कंपनी को बंद करने के पारित आदेश पर रोक लगाने के लिए एएआईएफआर में अलग-अलग याचिका दायर की है। चूँकि उस समय एएआइएफआर में कोई बेंच कार्यरत नहीं था, इसलिए कंपनी ने बी.आई.एफ.आर. द्वारा पारित बंदी के आदेश को रद्द करने के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। तबसे इस संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अनेक बार सुनवाई होती रही है।

कंपनी द्वारा पुनरुत्थान पैकेज लोक उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। बीआरपीएसई ने इस पर विचार-विमर्श कर अक्टूबर, 2005 में कंपनी के पुनरुत्थान प्रस्ताव मंजूर करने के लिए संस्तुति की है जिसमें व्याज एवं गैर योजनागत ऋण को माफ करना, योजनागत ऋण को इक्विटी में बदलना, रु. 102 करोड़ का गैर योजनागत ब्रिज लोन, कंपनी द्वारा अपने संसाधन से लगभग रु. 330 करोड़ की उगाही राज्य सरकार / आवासीय कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी को आवासीय / गैर आवासीय भवनों का हस्तांतरण / लीज, संस्थागत परिसर को लीज पर देकर उगाही करने की योजना एवं सीआईएसएफ तथा राज्य सरकार को जमीन हस्तातंरण कर बकाया का निपटान करना शामिल है। दिसम्बर 2005 में कैबिनेट ने बीआरपीएसई की सिफारिशों का अनुमोदन किया है। कैबिनेट द्वारा पारित सिफारिशों को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

तदुपरांत झारखण्ड सरकार ने हलफनामा दायर कर आवासीय / गैर आवासीय विल्डिंग एवं खाली जमीन को अधिग्रहण करने के लिए अपनी रजामंदी प्रदान की तथा इसके बदले विद्युत, जल एवं विक्री कर के मद में बकाया राशि को छोड़ देने को कहा और पुनरुत्थान प्रक्रिया में यथोचित मुआवजा देने की पेशकश की।

अप्रैल 2007 के तीसरे सप्ताह में झारखण्ड सरकार ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के फरवरी 2007 के आदेश के विरुद्ध जमीन से संबंधित मुद्दे को लेकर एलपीए दायर मई 2007 में मेसर्स एचईसी द्वारा झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण की जानेवाली जमीन की प्रमात्रा (रकबा) पर पुर्नविचार करने एवं एचईसी को सहायता उपलब्ध कराने वास्ते राज्य सरकार को अनुरोध किया गया। झारखण्ड सरकार ने सिद्धान्त: जमीन की रकबा पर पुनर्विचार एवं एचईसी को मदद देने के लिए अपनी सहमति दी।

इसी बीच केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा सितम्बर 2008 में पुनरीक्षित पुनरुद्धार प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा झारखण्ड सरकार का अंतिम प्रस्ताव प्रतीक्षित है।

6. संरक्षा, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण

आपकी कम्पनी सदैव अपने कामगारों के व्यावसायिक संरक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती हैं। कर्मचारियों के बीच संरक्षा चेतना जागृत करने वास्ते बहुतेरे प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किये गये। सम्पूर्ण चिकित्सीय परीक्षण नियमित रूप से सांविधिक मानक के अनुरूप निष्पादित किये गये। संरक्षा उपस्करों जैसे विभिन्न प्रकार के हैण्ड ग्लोब्स, चश्मा, सुरक्षित लिवास, सेफ्टी हेल्मेट्स, सैफ्टी बेल्ट्स, शूज आदि कर्मचारियों को मुहैया कराये गये। राष्ट्रीय संरक्षा दिवस एवं एचईसी संरक्षा सप्ताह सभी यूनिटों के द्वारा आयोजित किये गये।

कम्पनी पर्यावरण प्रदूषण से समझौता नहीं करती है, अतएव प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी प्रकार की सावधानियों के विस्तृत व्योरे निम्नानुसार है।

- सभी सांविधिक अपेक्षाओं जो वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम में उल्लिखित है, का अनुसरण किया जा रहा है।

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा चालू प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित उल्लिखित नियम-शर्तों का अनुसरण किया जा रहा है।

- प्रदूषित जल का नमूना संग्रह कर इसकी नियमित जांच की जा रही है, प्रदूषित जल को नियमानुसार ट्रीटमेंट करने के उपरांत ही छोड़ा जाता है।

- आसपास की हवा की जांच नियमित रूप से की जाती है ताकि वायु प्रदूषण का स्तर पता चल सके।

7. मानव-शक्ति की स्थिति

कंपनी की मानव शक्ति 1.4.2007 के 3330 की तुलना में 01.04.2008 को 2993 हो गई।

8. औद्योगिक संबंध

समीक्षा अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध की स्थिति आमतौर पर सामान्य रही। हालांकि विभिन्न ट्रेड यूनियनों एवं संघों द्वारा अपनी मांगों खासकर 01.01.1997 से वेतन पुनरीक्षण एवं सेवानिवृत्ति की आयु में 58 वर्ष से 60 वर्ष तक वृद्धि के लिए गेट सभा एवं आम सभा आहूत की गई।

मृत कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा लगातार मुख्यालय प्रशासनिक भवन के समक्ष निगम में नियोजन के लिए अनिश्चितकालीन धरना के कार्यक्रम जारी है।

9. कर्मचारी – कल्याण एवं सामुदायिक विकास

1. कंपनी 250 वेडयुक्त एवं 12 अदद मुख्य स्पेशलिटीयुक्त पूर्ण विकसित अस्पताल का संचालन करती है। कंपनी के कर्मचारी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का नि:शुल्क इलाज होता है साथ ही रेफर करने लायक केश को बाह्य सम्बद्ध हॉस्पिटल में भी रेफर किया जाता है। सेवानिवृत कर्मचारी उनकी पत्नी या पति को भी अस्पताल में उपलबद्ध सुविधा तक नि:शुल्क इलाज किया जाता है। वर्ष के दौरान अस्पताल द्वारा संचालित जन स्वास्थ्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की विशिष्ट उपलब्धियाँ निम्नवत है :-

(अ) बीसीजी, पोलियों, डीपीटी, खसरा, टीवी, डीटी एवं कुत्ता काटने के बचाव के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये।

(ब) कर्मचारी उनकी पत्नी या उनका पति के साथ-साथ अन्य अपात्र व्यक्तियों का भी परिवार कल्याण ऑपरेशन निष्पादित किये गये।

(स) जन साधारण को सांविधिक प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि कंपनी की अच्छी तस्वीर बन सके।

2. कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अनुदानित दर पर आवास एवं कैंटीन की सुविधा कराई है साथ ही अपने कर्मचारियों एवं पूर्व कर्मचारियों को चयनित क्षेत्र में दीर्घकालीन लीज पर मकान भी उपलब्ध कराये गये।

10. मानव संसाधन विकास

आईएसओ 9001:2000 प्रमाणीकरण कंपनी होने के नाते हम मानव संसाधन के प्रशिक्षण एवं प्रेरणा के लिए सदैव विशिष्ट ध्यान देते हैं जिसमें कामगार, पर्यवेक्षक एवं अधिकारी सम्मिलित हैं। मानव संसाधन के प्रशिक्षण एवं विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। अब मानव संसाधन के प्रशिक्षण एवं प्रेरणा से संबंधित भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित औपचारिक सहमति पत्र (एमओयू) के वार्षिक निगमित निष्पादन में यथार्थ रूप से महत्व प्रदान किया गया है।

मानव संसाधन विभाग ने पूरे वित्तीय वर्ष में अपने नियमित कामगारों एवं पर्यवेक्षकों के लिए कंपनी विशिष्टता के अनुकूल तकनीकी एवं कौशल विकास कार्यक्रम (टीएसडीपी) का आयोजन किया है, जिसमें बहुतेरे विषय यथा : तकनीकी, व्यवहार, मनोवृति बदलाव, संरक्षा एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता श्रम विधान, गुणवत्ता पूर्ण जीवन आदि पर प्रशिक्षण एवं प्रेरणा कार्यक्रम संचालित किये गये है।

मानव संसाधन विभाग ने पूरे वित्तीय वर्ष में अपने यहाँ एवं वाह्य संस्थानों में भी अपने भावी अधिकारियों के लिए प्रबंधकीय, विधान, व्यवहार, गुणवत्ता, संरक्षा एवं पर्यावरण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रशासकीय, सतर्कता, कार्यात्मक, सामान्य एवं सामरिक प्रबंधन के नवीनतम विकसित अवधारणा से संबंधित अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण एवं प्रेरणा कार्यक्रम (टीएमटी) संचालित किये हैं।

इसके अतिरिक्त एचआरडी ने तकनीकी ट्रेडों में पुनश्चर्या प्रशिक्षण, तकनीकी व्यवसायों में शिल्प प्रशिक्षण (आईटीआई के समकक्ष), स्नातक अभियंताओं के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण, आईटीआई एवं मैट्रिकुलेशन प्रशिक्षु के कार्यक्रम का आयोजन किया है। एचआरडी ने छोटे उत्पादन, रिपेयर मेन्टिनेंस कार्यकलापों में प्लांट/यूनिट को मदद पहुँचाई। मानव संसाधन विभाग ने शॉप फ्लोर में मल्टी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए मल्टी ट्रेड प्रशिक्षण को भी लागू किया है। इसके साथ-साथ एचआरडी ने प्रशिक्षणार्थियों से फीस एवं उत्पादन करा कर राजस्व भी उपार्जित किया है।

11. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की स्थिति

कंपनी में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या 1.4.2008 के अनुसार 813 (अनुजाति-297 एवं अनु. जन जाति-534) है, जो कुल मानव शक्ति का 27.76% (अनुजाति-9.92% एवं अनु. जन जाति 17.84%) है।

12. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये है :

1. अंग्रेजी टंककों एवं आशुलिपिकों को हिन्दी टाइप लेखन एवं हिन्दी आशुलेखन का प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यालयी कार्य के निष्पादन के लिए सभी कर्मचारियों को हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान प्रदान करने के लिए गहन प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित किये गये।

2. निगम के 7 मैनुअल एवं 323 प्रपत्र द्विभाषी में उपलब्ध हैं। राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया, इसके अन्तर्गत विभिन्न

प्रकार की प्रतियोगिताएं यथा : निबंध लेखन, भाषण, काव्य पाठ, टिप्पण/प्रारुपण, हिन्दी टंकण के साथ-साथ राजभाषा शील्ड एवं हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य प्रतिस्पर्द्धा का आयोजन किया गया। विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किया गये। कर्मचारियों के लाभार्थ दो हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई।

3. वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक नियमित रूप से आयोजित की गई। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिन्दु बनाये गये हैं और कार्यान्वयन में पाई गई कमियों/त्रुटियों की ओर विभागाध्यक्षों का ध्यान आकृष्ट किया गया। राजभाषा से संबंधित दिशा निर्देशों का परिचालन कर दृढ़ता के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी किये गये।

13. अनुषंगी एवं लघु इकाइयों का विकास

आपकी कंपनी अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए हमेशा सचेष्ट रही है इसने औद्योगिक वातावरण को विकास कर यहाँ के अगल-बगल की जनसंख्या के लिए अप्रत्यक्ष नियोजन के अवसर बढ़ाये हैं इसके अलावे लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन भी दिये है। इस मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1968 में एचईसी ने अपने वर्क्स के 5 कि.मी. की दूरी पर तुपुदाना में अनुषंगी क्षेत्र की स्थापना की है। लघु उद्योग इकाइयों को राज्य सरकार की मदद से भूमि आवंटित की गई एवं राँची औद्योगिक विकास प्राधिकरण (आरआईडीए) की सम्बद्धता से इन यूनिटों के विकास की प्रक्रिया में तेजी आई तथा इन्हें वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाया गया। एचईसी ने इन यूनिटों को निम्नानुसार मदद की :-

(i) भवनों का निर्माण एवं फैक्टरी कनेक्शन मुहैया कराना।

(ii) प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन मुहैया कराना।

(iii) बैंक से ऋण की व्यवस्था कराना।

(iv) आरंभिक अवस्था में इन पुट मैटेरियल उपलब्ध कराया गया ताकि अनुषंगी इकाइयों पर बोझ की कमी हो।

(v) सम्बद्ध निर्माण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई गई एवं तकनीकी समस्याओं के निवारण में मदद पहुचाई गई।

(vi) कार्य पर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना।

अभी हाल में झारखण्ड लघु उद्योग संघ, राँची, बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एचईसी एन्सीलरी एसोसियशन एवं आदित्यपुर स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ 16 अप्रैल 2008 को कार्य क्षेत्र में वृद्धि एवं एचईसी के विकास के अनुरूप अन्य क्षेत्रों में प्रवेश से संबंधित विन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु एक बैठक आयोजित की गई।

यह बैठक आपसी सहयोग के लिए उपाय एवं साधन बिन्दु पर आयोजित की गई जिसमें दोनों पक्ष को फायदा होगा साथ ही झारखण्ड राज्य के औद्योगिक विकास में अनुषंगी तथा लघु उद्योग इकाइयों के योगदान पर चर्चा की गई।

14. सतर्कता कार्यकलाप

एचईसी के सतर्कता संगठन मुख्यालय स्थित पूर्णकालिक वाह्य मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री पी. के. सिद्धार्थ 1981 बैच के आइपीएस के पूर्णरूपेण सभी प्रकार के प्रशासनिक एवं कार्यत्मक नियंत्रणाधीन है। प्रभावशाली प्रबंधन एवं सतर्कता निवारण के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। 71 औचक निरीक्षण एवं 35 नियमित निरीक्षण किये गये साथ ही करीब-करीब 7 चिह्नित संवेदनशील क्षेत्रों समेत लगभग सभी मुख्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। विभाग ने 3 लघु कार्यवाहियों को पूरा किया। सम्मत सूची एवं संदिग्ध निष्ठा सूची को विभाग ने तैयार किया है। सतर्कता विभाग ने कंपनी के पुनरुद्धार में रचनात्मक भूमिका अदा की है, सभी के सकारात्मक प्रयास से अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है।

वर्ष के दौरान 88 शिकायतों पर ध्यान दिया गया। प्रभावशाली प्रबंधन के लिए सतर्कता विभाग द्वारा 16 अदद पाठ्यक्रम संचालित किये गये। 23 कर्मचारियों को संवेदनशील विभागों से जॉब रोटेशन के तहत स्थानांतरित किया गया। विभाग द्वारा 300 वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न की संवीक्षा की गई। निविदा एवं संविदा से संबंधित सूचनाएं नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट पर बेहतर पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार में कमी वास्ते दी गई। सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें स्कूल के बच्चों को शामिल किया गया और भ्रष्टाचार तथा उसके निराकरण विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके साथ-साथ प्लांटों ने अपने कार्यपालकों के लिए सतर्कता से संबंधित सुक्ष्मग्राहिता सत्र का आयोजन किया। सर्तकता विभाग ने कंपनी को बिक्री आधार की मजबूती प्रदान करने में प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ वास्ते मदद की। सीआईएसएफ एवं प्लांट प्रमुख के पारस्परिक विचारोपरांत व्यर्थ वस्तुओं के निपटान एवं बहुमूल्य मिश्रित सामग्री के नियंत्रण के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई ताकि निगम के व्यय में कमी लाई जा सके और कमियों/त्रुटियों को दूर करने के लिए कदम उठाये जा सके।

15. गुणवत्ता नियंत्रण

आपकी कंपनी अपने उत्पादों की गुणवत्ता से कभी भी समझौता नहीं करती है। ग्राहकों की भरपूर संतुष्टि के मद्दे नजर कंपनी ने अपने उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए अनेक उपाय किये हैं। उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों को प्रासंगिक भारतीय मानकों एवं आईएसओ 9001:2000 के अनुरुप अपनाया जा रहा है।

आईआरक्यूएस द्वारा पुनप्रमाणीकरण अंकेक्षण निष्पादित किया गया और आईएसओ 9001-2000 का प्रमाणीकरण सभी तीनों प्लांटों यथा : एफएफपी, एचएमबीपी एवं एचएमटीपी को प्राप्त हुआ और प्रमाण-पत्र नवम्बर 2008 तक वैद्य है।

16. ऊर्जा अंकेक्षण

ऊर्जा अंकेक्षण सीमित स्तर पर पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोसियेशन (पीसीआरए) द्वारा वर्तमान समय में हीट ट्रीटमेंट/री हीटिंग फर्नेस के लिए उपयोग की जा रही प्रोड्यूसर गैस के अलावे अन्य वैकल्पिक इंधन के प्रयोग पर अध्ययन के उद्देश्य से फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट के मुख्य छह फर्नेसों के निष्पादन विश्लेषण के उपरांत सम्पन्न किया गया। यह अनुशंसा की गई कि प्रोड्सूयर गैस से ही फर्नेस संचालित किया जाये क्योंकि यह बहुत ही मितव्ययी एवं बाजार में उपलब्ध है। हालांकि पीसीआरए ने बेहतर तापीय दक्षता एवं मितव्ययिता हेतु फर्नेस संचालन के लिए प्रोड्यूसर गैस प्लांट में कुछ सुधार एवं आधुनिकीकरण करने का भी परामर्श दिया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

17. अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी-समावेशन, रूपान्तरण, नवीनीकरण तथा ऊर्जा संरक्षण

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1) तथा कम्पनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में व्यौरों का खुलासा) नियमावली 1988 की अपेक्षानुसार अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी-समावेशन, रूपान्तरण, नवीनीकरण के साथ-साथ ऊर्जा-संरक्षण के व्यौरे अनुलग्नक ''अ'' में उल्लिखित हैं।

18. निदेशकीय दायित्व के ब्योरे

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2) के तहत अपेक्षा के अनुसरण में निदेशकीय दायित्व के ब्योरों को एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है कि :

1. 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखा की तैयारी में विशिष्ट विभिन्नताओं से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित उपयुक्त लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसे न्यायसंगत लेखानीति का चयन कर अनुमान लगाया है कि लेखा युक्ति संगत और विवेकपूर्ण हो और समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी की स्थिति सत्य एवं उचित प्रतीत हो सके।
3. निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमिताओं के निवारण एवं खोज के लिए यथेष्ट अभिलेख के अनुरक्षण हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया है।
4. निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखा को सुनाम संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

19. विदेशी मुद्रा

वर्ष के दौरान रु. 31.21 करोड़ विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ।

20. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के अधीन सूचना

किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के अधीन 31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान यथा निर्धारित सीमा से अधिक का पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया। यह कंपनी (कर्मचारियों के ब्योरे) नियमावली, 1975 के साथ पठनीय है।

21. सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए मेसर्स सलारपुरिया जाजोदिया एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउन्टेंट, पटना को कंपनी के एकल सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। 48वी. वार्षिक सामान्य बैठक में शेयर धारकों द्वारा प्राधिकृत, निदेशक मंडल ने वर्ष 2007-2008 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक रु. 1,44,000/- रु. (एक लाख चौवालीस लाख) मात्र निर्धारित किया है।

22. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं उस पर प्रबंधन के उत्तर

31.03.2008 को समाप्त हुए वर्ष के कंपनी के लेखा पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ लेखा की समीक्षा, सांविधिक लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन और इन टिप्पणियों तथा प्रतिवेदन पर प्रबन्धन के उत्तर अनुलग्नक ''स'' पर प्रस्तुत है।

23. निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान एचईसी के बोर्ड में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (कार्मिक) के अलावे दो अंशकालीन अधिकारिक निदेशक तथा एक अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक थे तदुपरांत निदेशक (वित्त), निदेशक (विपणन) और निदेशक (उत्पादन) ने भी कार्यग्रहण किया।

वर्ष के दौरान श्री एन गोकुलराम एवं श्री एस. सिद्धार्थ निदेशक पद से मुक्त हुए। एचईसी लि. के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्यरत श्री एन. गोकुलराम तथा श्री एस. सिद्धार्थ अपने कार्यकाल के दौरान किये गये उल्लेखनीय कार्य एवं बहुमूल्य सेवाएँ के लिए बोर्ड उन्हें भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

24. अंकेक्षण कमेटी

श्री वी. के. श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, मेसर्स बोकारो स्टील प्लांट बोकारो की अध्यक्षता में 13.09.2006 को बोर्ड की 265वीं बैठक में अंकेक्षण कमेटी पुनर्गठित की गई। अंकेक्षण कमेटी की मात्र एक बार 30.08.2007 को बैठक सम्पन्न हुई।

25. आभारोक्ति

बोर्ड कंपनी के सम्मानीय ग्राहकों के प्रति उनके समर्थन एवं विश्वास के लिए सधन्यवाद आभार व्यक्त करता है और भविष्य में भी इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा करता है।

बोर्ड कंपनी के पुनरुद्धार योजना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के बहुतेरे मंत्रालय, खासकर भारी उद्योग विभाग एवं झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त समर्थन एवं दिशा निर्देशों के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करता है। कंपनी तकनीकी सहयोगकर्त्ताओं, आपूतिकर्त्ताओं, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा निरंतर सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करती है। निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) एवं सांविधिक लेखा परीक्षक को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अंत में बोर्ड एचईसी परिवार के सभी सदस्यगण के प्रति एहसानमन्द है क्योंकि उनके उत्साह, धैर्य, प्रतिबद्धता और सहयोग के बिना कंपनी अग्रसर नहीं होती और न नई ऊँचाइयों को छूती।

निदेशक मंडल की ओर से

ह./

(जी. के. पिल्लई)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक–अ

अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी समावेशन, रुपान्तरण, नवीनीकरण तथा ऊर्जा संरक्षण

1. **अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप**

वर्ष के दौरान कंपनी अपनी प्रौद्योगिकी को विकसित एवं उन्नत बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रही है :-

(अ) कंपनी द्वारा निष्पादित अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप के विशिष्ट क्षेत्रों के ब्यौरे निम्नवत है :-

(i) सीएनसी डीप होल बोरिंग मशीन मॉडल : बीडीएच 140 एन / 12 एम - एमएसएफ इच्छापुर हेतु

मशीन का डिजाइन 110 एमएम डाया के सॉलिड ड्रिलिंग एवं 300 एमएम से 12000 एमएम तक कांउटर बोरिंग, 400 बीएचएन हार्डनेश के इंगॉट्स / स्लैग / फोर्जिंग में बोरिंग डेप्थ तैयार किया गया है। मशीन में स्विंग ओवरवेड 1400 एमएम, 100 के डब्लू एसी स्पिंडल मोटर, स्पिंडल आरपीएम 800 और अधिकतम 16 के एनएम स्पिंडल टॉक उपलब्ध है। 100 के एनएम के कॉन्टैक्ट प्रेसर गाइड गैरेज द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है और 100 से 1300 लीटर तक कुलेंट मशिनिंग के दौरान आपूर्ति की जा सकती है। मशीन के सभी कार्य सिनुमेरिक 840 डी सिस्टम के द्वारा है। 3 अदद जॉब स्टीडिज एवं 4 अदद बोरिंग बार स्टीडिज में एसी सर्वोमोटर ड्राइव उपलब्ध कराया गया है।

(ii) सीएनसी डबल कॉलम वर्टिकल टर्निंग एण्ड बोरिंग मशीन मॉडल : बीवी 40/50 एनएम-बीएसएससी त्रिवेन्द्रम हेतु 2 रैमहेड्स के साथ 6-एक्सिस सीएनसी डबल कॉलम वर्टिकल टर्निंग एवं बोरिंग मशीन मॉडल बीवी 40/50 एनएम का डिजाइन 50 आरपीएम तक टेबल के हायर स्पीड के लिए लार्ग साइज रॉलर थ्रस्ट बियरिंग के साथ 4000 एमएम टेबल डाया सहित किया गया है। मशीन की इंजीनियरिंग सेटेलाइट लांच वेहिकल के लिए एस 139 और एस 200 नोजल्स के लिनर्स तथा सब एसेम्बली के निर्माण के लिए की गई है। दो रैम हेड्स 6000 केजी तक भारी कटिंग फोर्सेज का सामना कर सकता है। लेफ्ट रैम हेड में मिलिंग ऑपरेशन के लिए लाइव स्पिंडल है और राइट रैम हेड हाई स्पीड इलेक्ट्रो स्पिंडल के साथ सुसज्जित है जिसमें 21000 आरपीएम संलग्न है। ए 12 स्टेशन ऑटोमेटिक टूल चेंजर राइट रैम हेड के लिए भी उपलब्ध कराया गया है। मिलिंग फीड के लिए सी-एक्सिस मॉड में मशीन टेबुल रॉटेट कर सकता है। लेफ्ट हेड बी-एक्सिस के साथ सुसज्जित है जो लाइव स्पिंडल से ड्राइव लेता है। वर्क पीस के लिए ऑन लाइन मेजरमेंट सिस्टम भी मशीन उपलब्ध कराया गया है। मशीन सिमेंस से नवीनतम सीएनसी सिस्टम सिनुमेरिक 840 डी के साथ सुसज्जित है।

(iii) सीएनसी सिंगल कॉलम वर्टिकल टर्निंग एण्ड बोरिंग मशीन मॉडल बीवी 555/70 एनएम-एचएएल बंगलोर के लिए

मशीन का डिजाइन एचएएल बंगलोर के लिए 5500 एमएम टेबुल डाया हेतु 7000 एमएम डाया के अधिकतम टर्निंग के साथ किया गया है, मशीन में नई विशेषताएँ हैं जैसे पोजिशनिंग के लिए सी-एक्सिस के साथ-साथ 3रा फीड एक्सिस, टेबुल हाइड्रोलिक क्लैम्पिंग, कॉलम एण्ड क्रॉस रेल, 6000 एमएम/मिनट के हायर रैपिड ट्रैवर्स रेट, ऑन लाइन डायमीटर मेजरिंग सिस्टम, कुलेंट एरेंजमेंट के द्वारा इलेक्ट्रो स्पिंडल के पार्किंग स्टेशन, हाई स्पीड यूनिवर्सल मिलिंग एटैचमेंट, 12 स्टेशन ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ऐंगुलर मिलिंग एटैचमेंट, सिनुमेरिक 840 डी सीएनसी सिस्टम। मशीन का डिजाइन अनन्त वेरियबुल टेबुल स्पीड, एक साथ-2-एक्सिस फीड, एकुरेट पोजिशनिंग एवं कंट्रॉल और इन प्रोसेस मेजरिंग के सहित किया गया है।

(ब) आयात प्रतिस्थापन प्रयास

(i) सॉफ्ट आयरन शैकर बॉडी एसेम्बली की फोर्जिंग, मशीनिंग, फैवरिकेशन एण्ड एसेम्बली - विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर हेतु।

(ii) सीएनसी डीप होल बोरिंग मशीन मॉडल बीडीएच 140 एन/12 एम - एमएसएफ इच्छापुर हेतु।

(iii) सीएनसी डबल कॉलम वर्टिकल टर्निंग एवं बोरिंग मशीन मॉडल : बीवी 40/50 एनएम-वीएसएससी त्रिवेन्द्रम हेतु।

(iv) सीएनसी सिंगल कॉलम वर्टिकल टर्निंग एवं बोरिंग मशीन मॉडल बीवी 555/70 एनएम-एचएएल बंगलोर हेतु।

(स) प्रौद्योगिकी समावेशन, रुपान्तरण तथा नवीनीकरण

(i) पूर्व के सहयोग से प्राप्त प्रौद्योगिकी को पूर्णतः आत्मसात किया गया। नई विशेषता यथाः पीएलसी आधारित इलेक्ट्रीक कंट्रॉल्स, एसी सर्वोमोटर, एसी स्पिडंल मोटर्स, सेंट्रलाइज्ड ल्यूबिरिकेशन सिस्टम, गाइड वेज कवर्स, बेलोज, अटोमेटिक टूल क्लैम्पिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक / न्यूमेटिक क्लैम्पिंग स्पलैस गार्डस् को पुरातन सहयोग मॉडल में क्रियान्वित किया गया। नई मशीन उपर्युक्त उल्लिखित नवीनतम विशेषता के साथ अधिग्रहित एवं विकसित की गयी ताकि विश्व बाजार में मशीन टूल्स के क्षेत्र में नवीनतम विशेषता के साथ कदम रखा जा सके।

(ii) उन्नत उत्पाद वास्तविक माँग के मुताबिक ग्राहकों को प्रस्ताव दिया और सार्वभौमिक, प्रतिस्पर्द्धा में कार्यदेश प्राप्त किया गया। निरंतर अनुसंधान एवं बेहतर प्रौद्योगिकी अभिग्रहण और उपस्करों में न्यूनतम रिजेक्शन के माध्यम से लागत में कमी लाकर उत्तम उत्पाद के लिए लगातार प्रयोग निष्पादित किये जा रहे हैं।

(द) ऊर्जा संरक्षण

वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाये गये महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :-

- ऊर्जा की अधिकतम माँग में उचित लोड प्लानिंग के द्वारा कमी लाना।
- उच्च ऊर्जा दक्षता के प्रेसर सोडियम वेपर लैंप / ट्यूब लाइट्स का उपयोग करना।
- एलपीजी की जगह प्रोड्यूसर गैस का उपयोग।
- स्टैटिक ट्रान्सफारमर्स एवं रेक्टिफायर्स के उपयोग द्वारा एम जी सेट का प्रतिस्थापन।
- फर्नेस में सेरामिक लाइनिंग उपलब्ध कराकर तथा इलैक्ट्रिक पिट फर्नेस में प्रोग्रामयुक्त कन्ट्रॉलर स्थापित कर इंधन खपत में कमी लाना।
- मैल्टिंग फर्नेस आदि के लिए हीट साइकिल टाइम में कमी लाना।
- कम्प्रेसर एयर के अधिकतम उपयोग हेतु कम्प्रेसर यूनिट का प्रचालन एक ही समय करना।
- प्रकाश के लिए सूर्य की रोशनी के उपयोग हेतु प्रोड्क्शन शॉप की छत में पारदर्शी शीट लगाना।

वर्ष के दौरान उपर्युक्त उठाये गये कदमों से पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्यक्ष उत्पादन के प्रति एम.टी. ऊर्जा की खपत में काफी गिरावट आई है जिसे नीचे दर्शाया गया है :-

ऊर्जा के प्रकार	प्रति एमटी उत्पादन में यूनिट की खपत	
	2007-2008	2006-2007
बिजली (कैडब्लूएच)	2695.45	2709.68
कोल (एमटी)	4.32	4.30
डीजल (लिटर)	18.93	19.66

अनुलग्नक–ब

निगमित शासन की रिपोर्ट

(31.03.2008 के अनुसार)

निदेशकगण निगमित शासन से संबंधित कंपनी के कार्यकलाप प्रस्तुत करते हैं

शासन कोड से संबंधित निगमित मुख्य उद्देश्य

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी लि.) अपने व्यापारिक कार्यकलापों पर विशेष ध्यान देता है और कंपनी से संबंध रखने वाले सारे लोगों को उचित सम्मान भी देता है यथा – ग्राहकगण, सप्लायर्स, भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, बहुतेरे राज्य सरकारें अन्य सरकारी एजेंसी / विभाग एवं बड़े पैमाने पर समाज। अनिवार्य रूप से बेहतर शासन प्रदान करता है। एचईसी को पारदर्शिता, जवाबदेही एवं उपक्रम की समृद्धि में पूरा विश्वास है। एचईसी को प्रतिबद्धता के साथ निष्ठा पूर्वक कार्य सुनिश्चित करते हुए घरेलू ग्राहकों के साथ–साथ अन्तरराष्ट्रीय ग्राहकों के बीच में भी अपनी खास पहचान दिलानी है।

एचईसी सभी प्रकार के कानून का अनुसरण करती है एवं स्वस्थ स्पर्द्धा में विश्वास करती है तथा प्रबंधन की नीतियाँ / निर्णय को प्रभावशाली ढंग से मॉनिटर करती है और अपनी रणनीति को क्रियान्वित करती है। कंपनी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वरीय प्रबंधन की जिम्मेवारी है।

एचईसी लेटर और स्पिरिट द्वारा बेहतर निगमित शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्प्रिरिट ऑफ कोड के मद्दे नजर कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार गठित कमेटी के कार्यक्षेत्र को विस्तृत एवं मजबूत बनाया है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल कंपनी द्वारा लिये गये सभी प्रकार के मुख्य कार्रवाई / कार्यकलापों की निरीक्षण करता है। बोर्ड निगमित निष्पादन के अनुवीक्षण समेत रणनीति एवं व्यापारिक योजना को भी समीक्षा एवं अनुमोदन करता है।

एसोसियेशन की धारा के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के निदेशकों की संख्या न दो से कम होगा और न पन्द्रह से अधिक होगा। निदेशक को किसी प्रकार के योग्यता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है।

रिपोर्ट करने की तिथि के अनुसार एचईसी के बोर्ड में सात निदेशक है यथा : (क) कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक), (ख) सरकार द्वारा मनोनीत आधिकारिक निदेशक और (ग) गैर आधिकारिक निदेशक। इसमें शामिल है :– अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी), चार कार्यकारी निदेशक यानी निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त), निदेशक (विपणन) एवं निदेशक (उत्पादन) (ब) भारत सरकार द्वारा मनोनीति दो भारी उद्योग मंत्रालय से आधिकारिक निदेशक (स) एक गैर–आधिकारिक निदेशक। सीएमडी समेत निदेशकों की नियुक्ति की शर्ते और कार्यावधि भारत सरकार भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है।

निदेशक को देय पारिश्रमिक / क्षतिपूर्ति भी भारत सरकार द्वारा नियत किया गया है और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी (पूर्णकालिक) निदेशक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है।

पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशक :–

(क) श्री जी. के. पिल्लई	:	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(ख) श्री एम. आर. वेणुगोपाल	:	निदेशक (कार्मिक)
(ग) श्री आर. मिश्रा	:	निदेशक (वित्त) (16.05.2008 से)
(घ) श्री भरत प्रसाद	:	निदेशक (विपणन) (16.06.2008 से)
(च) श्री एस. के. चौधरी	:	निदेशक (उत्पादन) (03.09.2008 से)

भारत सरकार द्वारा मनोनीत अंशकालिक आधिकारिक निदेशक –

(अ) श्री बी. बी. सिंह

(ब) श्री आर. अशोकन

भारत सरकार द्वारा मनोनीत गैर आधिकारिक (अंशकालिक) निदेशक

(अ) श्री वी. के. श्रीवास्तव

बोर्ड की बैठक

बोर्ड की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय राँची में हुई। कंपनी सचिव ने बोर्ड के सचिव के रूप में सेवा प्रदान की।

बोर्ड बैठक की संख्या

वर्ष 2007–08 के दौरान पाँच (5) बैठक सम्पन्न हुई, जिसके विस्तृत व्योरे निम्नवत है।

क्र.सं.	दिनांक	बोर्ड तादाद	निदेशकों की उपस्थिति की सं.
1.	18.04.2007	04	02
2.	05.05.2007	04	03
3.	26.07.2007	05	04
4.	30.08.2007	05	05
5.	22.01.2008	05	04

बोर्ड बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशकों के नाम	अवधि	आयोजित बोर्ड बैठक की सं.	बोर्ड बैठक में उपस्थिति की सं.	अन्य बोर्ड में निदेशकों की सं.
कार्यकारी निदेशक पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकगण				
1. श्री जी. के. पिल्लई सीएमडी	28.05.2007 से 31.03.2008	03	03	—
2. श्री एम. आल. वेणुगोपाल निदेशक (कार्मिक)	01.04.2007 से 31.03.2008	05	05	—
ब) भारत सरकार द्वारा मनोनीत अंशकालीन आधिकारिक निदेशक				
1. श्री एन. गोकुलराम	01.04.2007 से 30.08.2007	04	03	03
2. श्री एस. सिद्धार्थ	01.04.2007 से 05.05.2007	02	02	08
3. श्री बी. बी. सिंह	26.07.2007 से 31.03.2008	03	03	03
4. श्री आर. अशोकन	22.01.2008 से 31.03.2008	01	01	—
स) अंशकालीन गैर आधिकारिक निदेशक				
1. श्री वी. के. श्रीवास्तव	01.04.2007 से 31.03.2008	05	02	02

बोर्ड कार्यसूची एवं सामग्री

बोर्ड को विश्वास है कि सावधानीपूर्वक कार्यसूची तैयार करना प्रभावशाली बोर्ड बैठक के लिए महत्वपूर्ण हैं। कार्यसूची में सम्मिलित सभी महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित व्यापक पृष्ठभूमि एवं सूचनाएँ उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बोर्ड को निर्णय लेने में दिक्कत न हो। कार्यसूची काफी लचीला होनी चाहिए ताकि अप्रत्याशित विकास समायोजित हो सके और बोर्ड का ध्यानाकृष्ट किया जा सके एवं निर्णय लिया जा सके। कार्यसूची पत्र बोर्ड के सदस्यों के बीच आम तौर पर पहले से ही पेश कर होना चाहिए। बोर्ड सदस्य अध्यक्ष के सम्पर्क के उपरांत कोई भी प्रासंगिक मुद्दे बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रख सकता है।

अंकेक्षण कमेटी बैठक में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति

सदस्यों के नाम	अवधि	आयोजित बैठक की सं.	बैठक में उपस्थिति की सं.
1. श्री वी. के. श्रीवास्तव अध्यक्ष अंकेक्षण कमेटी	01.04.2007 से से 31.03.2008	01	01
2. श्री बी. बी. सिंह सदस्य	01.04.2007 से 31.03.2008	01	01
3. श्री एम. आर. वेणुगोपाल सदस्य	01.04.2007 से 31.03.2008	01	01

31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ	राशि	उत्तर

(रु. करोड़ में)

(अ) लाभ प्रदता पर टिप्पणियाँ

शुद्ध लाभ रु. 4.17 करोड़

दिनांक 2 अगस्त 2008 को सम्पन्न सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट के पैराग्राफ-2 के संदर्भ का निदेश करें, जिसमें उल्लिखित है कि ''वर्ष का लाभ'' (रु. 4.17 करोड़) में रु. 74.22 करोड़ की हानि होगी। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवेदित हानि को रु. 2.51 करोड़ तक निम्नांकित कारणों से कम दर्शाया गया है।

(i) सीआईएसएफ के वेतन के मद में रु. 2.51 करोड़ 1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2008 तक प्राक्कलित आधार पर 1 जनवरी, 2006 से देय लंबित वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान न होना है।

प्रतिवेदित लाभ रु. 4.17 करोड़ एवं सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा रु. 74.22 करोड़ की अपेक्षित हानि के अन्तर के कारणों पर संबंधित लेखा परीक्षा पैरा सं. 4, 6.2, 6.3, 9, 10.1, 10.2, 10.3 एवं 10.4 के विरुद्ध उत्तर में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

सीआइएसएफ देयताएँ उनके द्वारा प्रस्तुत दावे / बिल के आधार पर लेखा में प्रावधान किया गया है, परन्तु 31 मार्च, 2008 तक की अवधि का भुगतान नहीं किया गया है। सीआइएसएफ प्राधिकरण से वेतन पुनरीक्षण बकाया के मद में बिल / सूचनाएँ / दावे की प्राप्ति लंबित होने के कारण सीआइएसएफ के लिए भावी वेतन पुनरीक्षण बकाया का प्रावधान इस स्तर पर करना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रकार की देयताएँ को ज्ञात करने के लिए कोई भी तकनीक उपलब्ध नहीं है।

(ब) खुलासा पर टिप्पणियाँ

कंपनी ने अंकित लाभ एवं हानि लेखा में प्रति शेयर मूल डाइल्यूट उपार्जन का खुलासान ही किया है। इस संबंध में अन्य अपेक्षित खुलासा जैसा कि लेखामानक – 20 के अधीन आवश्यक है, का भी अनुसरण नहीं किया हैं, जो लेखा मानक व्याख्या-12 के साथ पठनीय है।

मूल एवं डाइल्यूट उपार्जन प्रति शेयर ''अनुसूची-25'' में खुलासा किया गया है – लेखा पर टिप्पणियों में टिप्पणी सं. 12 देखें।

यद्यपि कि उसका खुलासा अंकित लाभ एवं हानि लेखा में करने वास्ते नोट किया गया। जिसका अनुसरण अगले वर्ष के लेखा में किया जायेगा।

(स) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

(i) सांविधिक लेखा परीक्षक ने बहुत सी अर्हता जैसा कि उनकी रिपोर्ट के पैरा 3 से 11 में उल्लिखित है, प्रदान किए हैं। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा अर्हता एवं मात्रा के आधार पर पैरा सं. 4, 5.1, 6.2, 6.3, 9, 10, 10.1, 10.2, 10.3 एवं 10.4 में वर्ष के लिए प्रतिवेदित शुद्ध लाभ (रु. 4.17 करोड़), हानि (रु. 74.22 करोड़) होगी तथा चालू देयताएँ एवं प्रावधान में रु. 653.87 करोड़ तक वृद्धि होगी चूँकि इन अर्हताओं में कंपनी की प्रतिवेदित वित्तीय स्थिति पर सामग्री का प्रभाव है, इसलिए सांविधिक लेखा परीक्षक के इस पर मंतव्य प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं है कि कंपनी के प्रस्तुत वित्तीय ब्योरे सत्य एवं तथ्यपूर्ण है।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा-4, 6.2, 6.3, 9, 10.1, 10.2, 10.3 एवं 10.4 पर सांविधिक लेखा परीक्षक के अवलोकनार्थ प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत उत्तर में दिये गये तथ्यों के मद्दे नजर विचाराधीन है। प्रबंधन इस मत पर सहमत है कि वास्तविक देयता के रूप में उपयुक्त रकम पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि बहुत जल्दी उपयुक्त प्राधिकरण के साथ निपटान होना है जो पुनरुद्धार योजना के तहत है। अतएव इस स्तर पर किसी प्रकार का लेखा में प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

इस प्रकार लाभ एवं हानि लेखा में खुलासा किया गया लाभ अधिक नहीं दर्शाया गया है। हालांकि भरपूर सावधानी बरतने के लिए इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है, लेखा पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 25) में पैरा सं. 2 अवलोकन करें।

ह./–
(राकेश मोहन)
प्रधान निदेशक,
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड

स्थान : राँची
दिनांक : 15.09.2008

ह./–
(जी. के. पिल्लई)
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रेषित

सदस्यगण

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि., राँची

हमने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2008 के संलग्न तुलन पत्र एवं उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष का कंपनी के लाभ एवं हानि लेखा और कैश फ्लो ब्यौरे का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय ब्यौरों का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है और हमारा दायित्व अपने द्वारा किए गये लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय ब्यौरों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

निम्नांकित पैराग्राफ में खुलासा किये वगैर, हमने अपनी लेखा परीक्षा लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार निष्पादित किया है जो भारत में सामान्यत: स्वीकृत है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम योजना तैयार कर लेखा परीक्षण युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के लिए निष्पादित करें ताकि वित्तीय ब्यौरे गलत महत्वपूर्ण विवरण से मुक्त हों।

लेखा परीक्षा में शामिल है वित्तीय ब्यौरों में दी गई राशियों व खुलासों के सबूतों को जांच के आधार पर परीक्षण। प्रयोग किये गये लेखा सिद्धान्तों का निर्धारण, प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलन के साथ–साथ समस्त वित्तीय ब्यौरों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखा परीक्षा में शामिल है। हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा हमारी राय में युक्तिसंगत आधार प्रदान करता है।

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के तहत भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आर्डर 2003 यथा संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा)(रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश 2004 की अपेक्षानुसार हमने प्राप्त सूचनाओं व स्पष्टीकरण के आधार पर यथोचित जांच पड़ताल के बाद उक्त आर्डर के पैराग्राफ 4 एवं 5 में उल्लिखित मामलों को वर्णित किया है।

2. इसके आगे उपर्युक्त पैराग्राफ–1 में संेदर्भित अनुलग्नक जो पैराग्राफ 3 से 11 तक में निहित हमारा अवलोकन के अधीन अनुकरणीय है, फलस्वरूप पैराग्राफ सं. 4, 5.1, 6.2, 6.3, 9, 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4 में उल्लिखित मात्रात्मक आइटमों से संबंधित लाभ, परिसम्पतियां एवं दायित्व पर प्रभाव पड़ता है और कंपनी की ओर से उपयुक्त सूचना / स्पष्टीकरण एवं अभिलेख की प्रस्तुति के अभाव में अन्य पैरा के मात्रात्मक आइटमों पर लाभ, परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व पर प्रभाव के संबंध में कहना मुश्किल है। जैसा कि उन पैरा के उपयुक्त भाग में वर्णित है जिसे ''महत्वपूर्ण लेखा नीतियां'' एवं ''लेखा पर टिप्पणियों'' में अन्य टिप्पणियां के साथ अनुसूची–25 में पठनीय है साथ ही हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

   उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित मात्रा का अवलोकन कर विचार किया गया कि ''वर्ष के लाभ'' रु. 7422.10 लाख हानि होगी (जबकि रु. 416.61 लाख लाभ दिखाया गया है) तुलन पत्र के लाभ एवं हानि लेखा में रु. 178298.48 लाख के आंकड़े होंगे (जबकि प्रतिवेदित राशि रु. 108298.44 लाख), वर्ष का उत्पादन (शुद्ध) रु. 33374.83 लाख होगा (जब कि प्रतिवेदित रु. 36884.33 लाख है), ''शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ'' रु. (–) 104156.42 लाख होगी (जब कि इसके विरुद्ध रु. (–) 37922.09 लाख प्रतिवेदित है) और पूंजीगत चालू कार्य रु. 2037.04 लाख का है (जब कि इसके लिए रु. 2710.36 लाख दर्शाया गया है)।

उत्तर

1. कोई टिप्पणी नहीं।

2. उत्तर प्रासंगिक अंकेक्षण पैरा सं. 4, 5.1, 6.2, 6.3, 9, 10.1, 10.2, 10.3 एवं 10.4 के विरुद्ध पहले ही दिया जा चुका है।

2.1	हमने सभी प्रकार की सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं, जो लेखा परीक्षण के प्रयोजनार्थ हमारी जानकारी एवं विश्वास के लिए आवश्यक थे।	2.1	कोई टिप्पणी नहीं।
2.2	हमारी राय में कंपनी के पास विधि सम्मत अपेक्षित लेखा बहियां हैं, जो परीक्षण हेतु प्रस्तुत की गई थी।	2.2	कोई टिप्पणी नहीं।
2.3	कथित तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा तथा कैश फ्लो ब्यौरे इस रिपोर्ट से सम्बद्ध लेखा बही के अनुरूप है।	2.3	कोई टिप्पणी नहीं।
2.4	हमारे विचार में तूलन पत्र एवं लाभ हानि लेखा तथा कैश फ्लो ब्यौरे जो कंपनी द्वारा तैयार किये गये हैं वह रिपोर्ट के पैरा 11 में निर्दिष्ट विचलन एवं अन्यत्र वर्णित को छोड़कर जहाँ लेखा मानकों का अनुसरण नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा 3(सी) में उल्लिखित अनिवार्य लेखा मानक महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा अनुसूची "25" के अनुरूप है। (लेखा पर टिप्पणी)।	2.4	कोई टिप्पणी नहीं।
2.5	जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया, कंपनी मामले के विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जीएसआर 829 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।	2.5	कोई टिप्पणी नहीं।
2.6	हमारे मंतव्य में हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कथित लेखा, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठनीय है और अनुसूची 25 पर की गई अन्य टिप्पणियां कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचनाएं लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं तथ्यपरक है जो सामान्यता भारत में स्वीकृत है।	2.6	कोई टिप्पणी नहीं।
	(अ) तुलन पत्र में 31 मार्च, 2008 के अनुसार कंपनी की स्थिति और (ब) कैश फ्लो स्टेटमेंट में उस वर्ष में हुए कैश फ्लो का विवरण।		(अ) एवं (ब) कोई टिप्पणी नहीं।
	लाभ एवं हानि लेखा के मामले में, 31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष में लाभ रु. 416.61 लाख है। यदि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की परिमाणत्मक टिप्पणियाँ इसे प्रभावित करती है तो रु. 7422.10 लाख की हानि होगी।		उत्तर प्रासंगिक पैरा सं. 4, 5.1, 6.2, 6.3, 9, 10.1, 10.2, 10.3 एवं 10.4 के विरुद्ध पहले ही दिया जा चुका है।
3.	जैसा कि लेखा नीति के पैरा 1.0 में निर्दिष्ट है कंपनी के लेखा सुनाम संस्थान के पूर्वानुमान के आधार पर तैयार किये गये हैं। अनुसूची "25" में निर्दिष्ट तथ्य, जो 06.07.2004 को कंपनी के बंद करने के बीआइएफआर के आदेश से संबंधित है तथा भारी संचित हानि के मद्दे नजर सुनाम संस्थान के रूप में बनाये रखने के लिए वास्तविक रूप से वित्तीय उपलब्धता, उच्च न्यायालय / एएआईएफआर के निर्णय के साथ–साथ भारी उत्पादन निष्पादन एवं लाभप्रदता आदि पर निर्भर करता है।	3.	लोक उपक्रम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) कंपनी के पुनरुत्थान प्रस्ताव की सिफारिश की तथा केन्द्रीय मंत्री परिषद द्वारा इसे दिनांक 15.12.2005 को विधिवत अनुमोदित किया गया। भारत सरकार ने योजनागत ऋण को ईक्विटी में रुपांतरित किया, गैर योजनागत ऋण, और 31.03.2005 को योजना एवं गैर योजनागत ऋण पर बकाया व्याज को भी माफ किया साथ ही वित्तीय वर्ष 2005–06 की समाप्ति के पूर्व एचईसी को ब्रिज लोन के रूप में रु. 102 करोड़ का फंड मुहैया कराया। झारखण्ड सरकार ने भी माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने शपथनामा दायर कर कहा है कि जेएसईबी के बकाया का निपटान किया जायेगा, बिक्री कर और जल प्रभार हटाया जायेगा एवं एचईसी की अतिरिक्त जमीन तथा रिहायशी एवं गैर रिहायशी भवनों जो पहले से ही झारखण्ड सरकार के पास है उसे लेने के बदले में फंड भी मुहैया कराया जायेगा। इसके अलावे नगद रकम उपार्जित करने के लिए आवासीय क्वार्टरों को दीर्घकालीन लीज पर हस्तांतरित किया जायेगा। यहाँ तक कि कम्पनी पर कर्मचारी की देयता की समाप्ति होने पर निकट भविष्य में एचईसी को कार्यशील पूँजी के मद में नगद राशि का अभाव

नहीं रहेगा। सांविधिक निकायों एवं अन्य वाह्य पार्टी को देयता वहन करने के लिए कंपनी पूर्ण रुपेण पर्याप्त वित्तीय संसाधन के साथ 'सुनाम संस्थान' के रूप में सक्षम होगी।

कंपनी सांविधिक निकायों एवं अन्य वाह्य पार्टियों को पूर्ण भुगतान के लिए ''सुनाम संस्थान'' के रूप में पर्याप्त वित्तीय संसाधन के साथ सक्षम है।

4. रु. 673.32 लाख की राशि के पूंजीगत चालू कार्य (एचएमबीपी के रु. 397.94 लाख और एफएफपी के रु. 275.38 लाख) का इरेक्शन, कमिशनिंग एवं समापन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि से लम्बित है, जिसके लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया तथा इस प्रकार वर्ष की हानि कम कर दर्शायी गई है और उस सीमा तक पूँजीगत चालू कार्य अधिक दर्शाया गया है।

4. कैपेक्स वर्क्स के लिए फंड नहीं रहने के कारण पूर्व के वर्षों में कार्य पूरे नहीं किये गये। अब कैपेक्स के लिए भारत सरकार से फंड उपलब्ध होने से एवं झारखण्ड सरकार से भी फंड मिलने की संभावना से लंबित कार्य क्रमश: प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूरे किये जायेंगे।

5. वस्तु सूचियां

5.1 यद्यपि कि एचएमबीपी एवं एचएमटीपी में महत्त्वपूर्ण सुधार किया गया है, प्लांट/कम्प्यूटर सिस्टम/स्टोर्स प्राइस लेजर के मूल आंकड़ों में पाई गई गलतियों पर ध्यान दिया गया जो सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम, शॉप शीर्षाधीन को प्रभावित करता है। मूल आंकड़ों में सुधार एवं नये सिरे से गणना किये बगैर हम लेखा बही में दर्शाये गये चालू कार्य एवं तैयार माल का मूल्यन पर अपना विचार व्यक्त करने में असमर्थ हैं। इसके अलावे एचएमबीपी के श्रृखलाबद्ध कार्यादेश तथा एचएमटीपी में अंतर प्लांट अंतरण कार्यादेश की स्थिति में कॉस्ट शीट डेटा की तैयारी की पद्धति को समीक्षा करने की आवश्यकता है।

5.1 यद्यपि कि वर्ष के दौरान जहाँ भी संभव है इसमें सुधार किया जा चुका है।

6. विविध देनदारियां

6.1 विविध देनदारियां से शेष बकाया का पुष्टिकरण सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया।

6.1 यह अनुसूची 25 की टिप्पणी सं. 7 से संदर्भित है। (लेखा पर टिप्पणी)।

6.2 विविध देनदारियों में शामिल है ऐसे बकाया शेष जो बहुत समय से लम्बित है तथा तीन वर्षों से अधिक समय से विविध देनदारियाँ में दर्शाये जा रहे हैं एवं जिसका देनदार पार्टियों द्वारा पुष्टिकरण नहीं हुआ है। ऐसी देनदारियों की रकम रु. 2482.19 लाख (टाउनशीप) है। तीन वर्षों से अधिक तक बकाया लम्बित होने के बावजूद किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। परिणामत: वर्ष की हानि उस सीमा तक कम एवं विविध देनदारियां अधिक दर्शायी गई हैं।

6.2 टाउनशिप के देनदार जलशोधन प्लांट के लिए विद्युत आपूर्ति के मद में पीएचईडी से प्राप्त होने वाली रकम से संबंधित है जो प्रोसेस वाटर एवं पीने के पानी के मद में एचईसी पर बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा। झारखण्ड सरकार द्वारा पहले ही पुनरुद्धार पैकेज में इस पर विचार किया गया है एवं बहुत जल्द इसका निपटान होने की उम्मीद है अतएव इस स्तर पर किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

6.3 विविध देनदारों में शामिल है एक पार्टी से रु. 1458.03 लाख जो फरवरी 1997 में कंपनी के पक्ष में मध्यस्थ द्वारा दिए गये अधिनिर्णय के फलस्वरूप हैं, इसके विरुद्ध पार्टी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को अस्वीकार कर दिया है, परन्तु पार्टी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में पुन: याचिका दायर की है। चूँकि अधिनिर्णय का क्रियान्वयन नहीं हुआ है फलस्वरूप ऐसी परिस्थिति में पूरी राशि रु. 1458.03 लाख की वसूली अनिश्चित है और वह विवादित तथा बहुत समय से लंबित है, अतएव इस पूरी लंबित राशि का प्रावधान करना चाहिए क्योंकि वर्ष की हानि इस सीमा तक कम दर्शायी गई है और विविध देनदारों को वर्ष के अंतिम में दर्शाया गया है।

6.3 जैसा कि सांविधिक अंकेक्षण ने अवलोकन किया है, पार्टी द्वारा दायर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के खण्डपीठ में अपील खारिज कर दी गई है, अतएव राशि की प्राप्ति की अनिश्चितता नहीं है। तद्नुसार इस स्तर पर किसी प्रकार के प्रावधान आवश्यक नहीं है।

7. ऋण एवं अग्रिम

7.1 विभिन्न पार्टियों के पुष्टिकरण जिसमें ऋण एवं अग्रिम शामिल है, सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराये गये, अतएव हम

7.1 यह अनुसूची 25 की टिप्पणी सं. 7 से संदर्भित है। (लेखा पर टिप्पणियां)।

लाभ एवं अन्य लेखा पर पड़ने वाला प्रभाव एवं उसकी परिशुद्धता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

8. वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

8.1 देयताएं के तहत विविध लेखा शीर्ष से सम्बद्ध या सामंजस्य के ब्यौरे के अभाव में हम अनुसूची की विभिन्न राशि का सत्यापन करने में असमर्थ हैं फलतः हानि एवं अन्य लेखा पर इसका प्रभाव से संबंधित टिप्पणी करने में असमर्थ है। शेष की सम्पुष्टि सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं था।

8.2 अनुसूची–25 की टिप्पणी सं. 2 (जी) में निर्दिष्ट कंपनी के विरुद्ध मुकदमा/मामलों की नवीनतम जानकारी/विधि विशेषज्ञों की राय के अभाव में अतिरिक्त देयता, जिसे लेखा मानक 29 के अधीन प्रावधान करना अपेक्षित है और जो उपबंधित नहीं है, इस संबंध में हम अपना मंतव्य देने में असमर्थ हैं।

8.3 1992–1997 वर्ष की अवधि का गत वेतन पुनरीक्षण समझौता 1997 में किया गया, जिसके लिए रु. 3413.18 लाख का प्रावधान वर्तमान में कर्मचारियों एवं साथ–साथ पूर्व के वर्षों में अदायगी के उपरांत 31.03.2008 के अनुसार लेखा बही में किया गया है। वास्तविक बिल के अभाव में किये गये प्रावधान की पर्याप्यता के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, फलतः समाप्त हुए वर्ष पर परिणाम का प्रभाव चालू देयताएं और कर्मचारियों के सेवा निवृति लाभ पर पड़ता है। इसके अलावे वेतन एवं भविष्य निधि की मात्रा को भी पृथक नहीं किया गया है।

8.4 01.01.1997 से 31.12.2006 की अवधि के वेतन पुनरीक्षण के सम्पन्न होने के फलस्वरूप कर्मचारियों को देय बकाया वेतन का प्रावधान नहीं किया गया है यद्यपि कि 27.11.2006 को वेतन पुनरीक्षण से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता अनुसूची 25 की टिप्पणी सं. 5 से संदर्भित प्रबंधन दायित्व पर प्रभाव, हानि पर परिणात्मक प्रभाव के बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और यह अनिश्चित है।

8.5 27.11.2006 को सम्पन्न कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता के अनुसार 01.01.2007 से वेतन पुनरीक्षण बकाया है। फलतः 01.01.2007 से 31.03.2008 तक की अवधि के लिए वेतन वृद्धि एवं इस पर प्रभाव का प्रावधान नहीं किया गया है इसके अलावे किसी प्रकार की हानि के साथ–साथ चालू देयता अनिश्चित है।

8.6 कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारी सहयोग समिति के मद में की गई कटौती राशि को 1999 से ही जमा न करने पर देय व्याज की रकम के लिए कंपनी ने प्रावधान नहीं किया है एवं हानि पर इसका प्रभाव ज्ञात नहीं है (अनुसूची–25 की टिप्पणी सं. 14 में निर्दिष्ट)।

8.7 1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2008 तक की अवधि के लिए सीआईएसएफ के वेतन का प्रावधान नहीं किया गया है, 1 जनवरी 2006 से वेतन पुनरीक्षण का बकाया लंबित है। (अनुसूची–25 की टिप्पणी सं. 6 में निर्दिष्ट)।

8.8 पूर्व के वर्षों में कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि के मद में कटौती की गई राशि के साथ–साथ कंपनी ने अपने अंशदान भी समय पर भविष्य निधि प्राधिकारी के पास जमा नहीं किया है। सितम्बर 1999 से एवं उसके बाद से पीएफ का भुगतान

8.1 बहुत सी पार्टियों के बहुत पुराने बकाये साथ–साथ उनके पास पुरानी देयताएं का निपटान नहीं होने के कारण, देयताएं का पूरा संयोजन के साथ–साथ परिसम्पत्तियाँ अब संभव नहीं है लेकिन इसे अधिकतम सीमा तक जहाँ तक संभव हो धीरे–धीरे समापन के प्रयास किये जा रहे हैं।

8.2 यह 31.03.2007 के अनुसार लम्बित मामलों की सूची और आतंरिक संवीक्षा पर आधारित है जिसे हमारे विधि विभाग के विशेषज्ञ ने न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं, मामलों के तहत पूरी रकम को ''आकस्मिक देयता'' शीर्षक के अधीन दर्शाये गये है।

8.3 व्यक्तिगत कर्मचारियों के एरियर की गणना के आधार पर 01.01.1992 से वेतन पुनरीक्षण के मद में एरियर का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों के वास्तविक वेतन आंकड़े पर ध्यान किया गया है। कर्मचारियों के वास्तविक वेतन आंकड़े पर ध्यान दिया गया है। वेतन पुनरीक्षण एरियर में भविष्य निधि के मद में अंशदान के प्रावधान भी किये गये है।

8.4 यह लेखा पर टिप्पणी की टिप्पणी सं. 5 से पहले ही संदर्भित है। इसके अलावे वेतन पुनरीक्षण एरियर के संबंध में वेतन समझौता में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि एरियर से संबंधित मामले को पृथक रूप से चर्चा की जायेगी जो कंपनी के भविष्य निष्पादन पर निर्भर करता है। भारत सरकार से वेतन समझौता के क्रियान्वयन की मंजूरी नहीं मिलने पर यह पुनरीक्षण किस तारीख से लागू होगा यह आज तक भी ज्ञात नहीं है। इस स्तर पर निर्धारण के साथ–साथ एरियर का प्रावधान संभव नहीं है।

8.5 चूँकि आज तक 01.01.1997 से वेतन पुनरीक्षण का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, अतएव इस स्तर पर 01.01.2007 से वेतन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया गया है।

8.6 यह अनुसूची 25 की टिप्पणी सं. 14 से संदर्भित है।

8.7 यह अनुसूची–25 की टिप्पणी सं. 6 से संदर्भित है (लेखा पर टिप्पणी)।

8.8 सीपीएफ/ईपीएफ का बिलंबित भुगतान के कारण नुकसान का मूल्यांकन सितम्बर 1999 तक भविष्य निधि प्राधिकरण ने किया है और इसे अपीलीय ट्रीव्यूनल में अपील की गई है, इस प्रकार इसे आकस्मिक देयता के रूप में लेखा में दर्शाया गया है।

नहीं होने के कारण देय पेनल व्याज/नुकसान का प्रावधान नहीं किया गया है एवं हानि पर इसका प्रभाव ज्ञात नहीं हैं।

उपर्युक्त मामला की सुनवाई अभी तक अपीलीय ट्रीव्यूनल में नहीं हुई है। पीएफ प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर, 1999 से मार्च 2006 तक की अवधि तक मूल्यांकन की अनुपलब्धता की वजह से लेखा में प्रावधान नहीं किया गया है। यह अनुसूची-25 की टिप्पणी सं. 15 में पहले ही वर्णित है।

9. बिक्री

अनुसूची-25 की टिप्पणी सं. 7 की ओर ध्यानाकृष्ट किया गया है कि एचएमबीपी एवं एचएमटीपी में वार्षिक बिक्री/विविध देनदारियाँ रु. 3381.80 लाख तक अधिक दर्शायी गई है एवं 31.03.2007 के अनुसार ग्राहक के पास माल के नाम बदला नहीं गया है तथा तैयार माल की वस्तुसूची/अभिवृद्धि एक सीमा तक कम दर्शायी गई है। वर्ष के लिए वस्तुसूची लाभ के रूप में इसका उपयोग किया गया है जो रु. 417.11 लाख तक कम है।

9. यह अनुसूची-25 की टिप्पणी संख्या 9 से संदर्भित है। (लेखा पर टिप्पणियाँ)

10. लाभ एवं हानि लेखा

10.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के बिल पर बिलम्बित भुगतान अधिभार (डीपीएस) की राशि रु. 54886.86 लाख (पिछले वर्ष रु. 47533.40 लाख) को न लेखाबद्ध और न प्रावधान किया गया है। परिणामस्वरूप वर्ष का लाभ रु. 7353.46 लाख तक अधिक दर्शाया गया है और संचित हानि तथा चालू देयताएं रु. 54886.86 लाख की सीमा तक कम दर्शायी गई है [अनुसूची – 25 में निर्दिष्ट टिप्पणी सं. 2(डी)]

10.1 टाउनशिप में घरेलू दर पर विद्युत खपत के संबंध में सहमति के बावजूद औद्योगिक दर पर प्रभारित किया गया, फलस्वरूप डीपीएस विवादित देयता है। इसके अलावे एचईसी के पुनरुद्धार पैकेज में राहत देने की मंजूरी के साथ डीपीएस हटाने के लिए झारखण्ड सरकार के समक्ष सक्रियता के साथ विचारार्थ है। चूँकि 14.12.2007 को झारखण्ड सरकार के कैबिनेट ने डीपीएस हटाने का अनुमोदन दिया है, अतएव इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

10.2 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जल प्रभार के मद में रु. 976.38 लाख (पिछले वर्ष रु. 929.96 लाख) के बिल को न लेखाबद्ध और न प्रावधान किया गया है। परिणामतः वर्ष का लाभ रु. 46.42 लाख तक अधिक दर्शाया गया है और संचित हानि तथा चालू देयताएँ रु. 976.38 लाख की सीमा तक कम दर्शायी गई है (अनुसूची-25 में निर्दिष्ट टिप्पणी सं. 2(ई)।

10.2 जल प्रभार वास्तविक खपत के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है. जल प्रभार में बढ़ोतरी आदेश प्राप्ति की तिथि से विचारार्थ है वास्तविक खपत से अधिक के दावे एवं भूतलक्षी प्रभाव से वृद्धि पर विरोध जताया गया है तथा इसे आकस्मिक देयता के तहत दर्शाया गया है। इसके अलावे अधिक दावे को वापस लेने के लिए पीएचईडी के साथ समझौता के प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त जल प्रभार को हटाने के लिए 14.12.2007 को झारखण्ड सरकार के कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है। अतएव इस स्तर पर इस संबंध में प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

10.3 कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 14 (बी) के तहत मार्च, 1976 से सितम्बर, 1999 तक की अवधि में विलम्बित भुगतान के कारण क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा रु. 9501.54 लाख के हर्जाना का लेखाबद्ध एवं प्रावधान नहीं किया गया है, फलतः वर्ष की संचित हानि और चालू देयताएं उस सीमा तक कम दर्शायी गई है (अनुसूची ''25'' के निर्दिष्ट टिप्पणी सं. 2 (एफ)।

10.3 8.8 के विरुद्ध उत्तर से संदर्भित है। पीएफ प्राधिकरण के द्वारा लेवी के मद में 9501.54 लाख के नुकसान के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके विरुद्ध कंपनी ने अपीलीय ट्रीव्यूनल में याचिका दायर की है। अतएव इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

10.4 लघु उद्योग उपक्रम पर पुराना बकाया राशि पर देय व्याज रु. 21.72 लाख (एचएमबीपी का रु. 12.55 लाख तथा एचएमटीपी का रु. 9.17 लाख) का प्रावधान नहीं किया गया है। परिणामतः वर्ष का लाभ इस रकम तक अधिक दर्शाया गया है तथा संचित हानि एवं चालू देयताएँ उस सीमा तक कम दर्शायी गई है (अनुसूची-25 की टिप्पणी सं. 8 में निर्दिष्ट)।

10.4 यह अनुसूची 25 की टिप्पणी सं. 8 (लेखा पर टिप्पणी) से संदर्भित है।

11. लेखा मानक से विचलन

11.1 समापन स्टॉक में रखे गये अंतर प्लांट अंतरण के आइटमों पर आधारित लाभ-हानि के मूल तत्व, यदि कोई है, तो उसे न तो

11.1 अंतर प्लांट अंतरण के अंतरण कीमत में सामग्री आपूर्ति या पूरक प्लांट की सेवाएं की वजह से लाभ के तत्त्वों पर विचार

	अभिनिश्चित किया गया है और न दूर किया गया है। यह एएस–2 के अनुरूप नहीं है।		नहीं किया गया है। अतएव समापन स्टॉक में लाभ तत्त्वों को हटाने हेतु प्रश्न नहीं उठता है। इस प्रकार इस बिन्दु पर एएस–2 से विद्यमान विचलन पता नहीं चलता है।
11.2	कुछ मामलों में तैयार या अर्द्ध तैयार मालों की वस्तुसूची का मूल्यन एएस–2 की अपेक्षाओं के अनुरूप पूर्णत: नहीं है एवं लगभग उपयुक्त लागत खाता प्राक्कलित निवल प्राप्य मूल्य पर आधारित नहीं है और वस्तुसूची के अधूरा भाग तथा लागत मूल्यन के लिए कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है।	11.2	लेखा पर टिप्पणी में खुलासा किया गया अनुसूची 25 की टिप्पणी सं. 20 (अ) देखें।
11.3	आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयताएं का लेखाकरण, लेखा पर टिप्पणी अनुसूची–25 के पैरा न. 13 में जैसा निर्दिष्ट है, के अनुरूप नहीं किया गया है, जो एएस–22 के प्रतिकूल है।	11.3	लेखा पर टिप्पणी में खुलासा किया गया अनुसूची 25 की टिप्पणी सं. 13 देखें।
11.4	लघुकालीन कर्मचारी लाभ (वेतन पुनरीक्षण के अनुसार देय बकाया वेतन) के साथ–साथ सेवानिवृत्त उपरांत लाभ का लघु प्रावधान गैर उपबंधित लेखाकरण मानक–15 का विचलन है (संशोधित–2005)।	11.4	वेतन पुनरीक्षण के मद में लघुकालीन कर्मचारी हितलाभ हेतु कंपनी ने कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया है। अतएव कोई भी विद्यमान विचलन पता नहीं चलता है।
11.5	एलटीए देयता का प्रावधान प्राक्कलित आधार पर किया गया है, यह तीसरी पार्टी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया है जैसा कि लेखाकरण मानक–15 में परामर्श दिया गया है।	11.5	रुग्ण उद्योग में एलटीए की अदायगी भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। तथापि रूढ़ीवादी सिद्धान्त का अनुसरण कर एलटीए देयता अगले दो वर्षों में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के आधार पर लेखा में विचार किया गया है। लगभग विश्वसनीय मूल्यांकन उपलब्ध कराने वास्ते यह पुनरीक्षित एएस–15 पैरा 52 के अनुसार प्राक्कलित, औसत एवं सरलीकृत गणना के आधार पर अनुमति देता है एवं इस प्रकार एएस 15 के विद्यमान विचलन पता नहीं चलता है।
11.6	एचएमबीपी एवं एचएमटीपी के लेखा बिक्रीक्रेता के नाम बदले बगैर लेखाकरण मानक–9 से विचलित है।	11.6	जब तक ग्राहकों को डिस्पैच किये गये आइटमों की प्राप्ति स्टोर में नहीं हो जाती और दिये गये बिल के भुगतान बिक्री कर सहित नहीं हो जाता है तब तक टाइटल पास हुआ माना नहीं जाता है एवं तदनुसार बिक्री लेखा में विचार किया गया है। यद्यपि अनुसूची 25 की टिप्पणी सं. 20(ब) में इसका उपयुक्त खुलासा किया जा चुका है।
11.7	तुलन पत्र तिथि के उपरांत होनेवाली घटनाएँ की वजह से संभावित हानि गैर उपबंधित है जैसा कि अनुसूची 25 के पैरा 19 में निर्दिष्ट है यह एएस 4 के अनुकूल नहीं है।	11.7	अंकेक्षण के तहत लेखा अवधि के दौरान घटनाएँ नहीं घटित हैं। अतएव अंकेक्षण के तहत वर्ष के दौरान किसी प्रकार के प्रावधान करना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त पूर्ण क्षतिपूर्ति हेतु मेसर्स एससीआइएल पर मामला दर्ज किया गया है एवं इसके विपरीत किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है। इस स्तर पर संभावित हानि के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसे अनुसूची 25 की टिप्पणी सं. 19 में समुचित खुलासा किया गया है (लेखा पर टिप्पणी) अतएव लेखा मानक से चालू विचलन पता नहीं चलता है।
12	सामान्य		
12.1	विभिन्न पार्टियों के विविध लेनदारों/ऋण एवं अग्रिम के लिए डेबिट/क्रेडिट शेष ऋण तथा अग्रिम/चालू देयताएं सहित संबंधित लेखा के कुल डेबिट/क्रेडिट जोड़ने के बदले में विविध लेनदारों/ऋण एवं अग्रिम के सकल कुल राशि से कटौती की गई है। विविध लेनदारों/ऋण और अग्रिम एवं अनुकूल ऋण तथा अग्रिम/चालू देयताएँ की मात्रा को कम कर दर्शाया गया है तो कंपनी से विस्तृत व्यौरे की अनुपलब्धता की वजह से अभिनिश्चित नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।	12.1	इसमें और सुधार के लिए नोट किया गया।

कृते सलारपुरिया जाजोदिया एण्ड कं.

स्थान : राँची

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

दिनांक : 02 अगस्त, 2008

ह/- **(ललन कुमार)** पार्टनर

ह/–

(एस. के. चक्रवर्त्ती)

वित्त प्रमुख / एचईसी लि.

सदस्यगण को प्रेषित लेखा परीक्षक के रिपोर्ट

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ-1 में निर्दिष्ट)

लेखा परीक्षक रिपोर्ट	उत्तर
1. इसकी अचल परिसम्पतियों के संबंध में :	
(अ) कंपनी ने सामान्यत: फर्नीचर तथा जुड़नार, कार्यालय उपस्कर आदि छोड़कर अचल परिसंपत्तियों की स्थिति एवं परिमाणत्मक व्यौरों समेत पूर्ण विवरण प्रदर्शित करते हुए समुचित अभिलेख रखा हैं।	(अ) नोट किया गया।
(ब) वर्ष के दौरान कंपनी की अचल परिसम्पत्तियाँ (विल्डिंग छोड़कर) वाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेंटस फर्म द्वारा सभी इकाइयों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। यद्यपि कि फर्नीचर तथा जुड़नार, कार्यालय उपस्कर आदि के मामले में खाता बही के अनुसार प्रत्यक्ष स्थिति का सामंजस्य नहीं किया गया है। सामंजस्य के अभाव में सामग्री विसंगतियां, यदि कोई हो, तो हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।	(ब) नोट किया गया।
(स) हमारे मंतव्य में, हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों का महत्त्वपूर्ण डिस्पोजल नहीं किया गया जो कंपनी को सुनाम संस्थान की स्थिति को प्रभावित करता है।	(स) कोई टिप्पणी नहीं।
2. इसकी वस्तु सूची के विषय में :	
(अ) वर्ष के दौरान वाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेंटस फर्म के द्वारा कच्चामाल का भंडारण तथा स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुरजों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। कच्चा माल एवं स्टोर्स तथा अतिरिक्त पुर्जे के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया में कंपनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रवृति को देखते हुए सुधार की आवश्यकता है।	(अ) नोट किया।
(ब) हमारे मंतव्य में एसपीएल के लेखाकरण के वर्तमान पद्धति अर्थात् विभिन्न कीमतों के आइटमों के लेखाकरण में उसी सामग्री कोड के विभिन्न विशेषताओं को पूरी तरह से समीक्षा करने की जरूरत है। इसके अलावे कुछ यूनिटों में पृथक रूप से स्वदेशी एवं आयातित स्टोर्स एवं स्पेयर्स का अभिलेख नहीं रखा गया है।	(ब) नोट किया। इसके अलावे पृथक लेखा अभिलेख जैसे इश्यू वाउचर के साथ-साथ प्रमाणिक पावती वाउचर (सीआरवी) स्वदेशी एवं आयातित आइटमों की पहचान के लिए रखा गया।
(स) हमारे विचार में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा वस्तुसूची के रिकॉर्ड के हमारे परीक्षण के आधार पर हमें कहना है कि कम्पनी ने अपनी वस्तुसूची के अभिलेख उपयुक्त ढंग से रखा है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया कि लेखा बही के रिकार्ड की तुलना में वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन में विसंगतियां पाई गई थी, जिसे उपयुक्त प्रावधान के द्वारा वर्ष के दौरान समायोजित किया गया।	(स) बिन कार्ड, स्टोर लेजर, डेली रिसीट रजिस्टर आदि सभी प्लांटों के स्टोर में रखे गये है।
3. (अ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत	(अ) कोई टिप्पणी नहीं।

धारित रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने किसी प्रकार का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण स्वीकृत नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के खंड 4 (III) (बी) से (डी) लागू नहीं है।	
(ब) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत धारित रजिस्टर में सूचीवद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है। तदनुसार आदेश खंड 4 (III) (एफ) से (जी) लागू नहीं है।	(ब) कोई टिप्पणी नहीं।
4. लेखा परीक्षण के दौरान निष्पादित की गई जांच के आधार पर तथा हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया सामान्यतया पर्याप्त है, परन्तु कम्पनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप वस्तुसूची के क्रय, अचल परिसम्पति एवं मालों की बिक्री हेतु इसे और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ आंतरिक नियंत्रण पद्धति प्रचालन में है, उसे मजबूत करने की आवश्यकता है एवं निम्नांकित बिन्दुओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है :-	4. नोट किया गया है।
(क) पूँजीगत चालू कार्य में बकाया शेष।	
(ख) बिल रहित देनदारों से संबद्ध बीजक का नियमितीकरण।	
(ग) सामग्री यद्यपि कि डिस्पैच हो गई है, परन्तु खरीदार का हस्तांत्रण बिक्री अनुबंध के अनुरूप अभी पूरा नहीं हुआ है, का समावेशन।	
(घ) भंडार मूल्यन, कोड एवं ग्रुप का निर्माण।	
(च) मार्गस्थ माल का लेखाकरण।	
(छ) सही लेखा कोड में व्यय का लेखाकरण।	
5. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत सभी लेन-देन के विषय में :	
(अ) हमें दी गई सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में कम्पनी ने उक्त धारा के तहत धारित रजिस्टर में अधिनियम की धारा 301 से संदर्भित संविदा या व्यवस्था की प्रविष्टि की है।	(अ) कोई टिप्पणी नहीं।
(ब) हमारी राय में हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे संविदा या व्यवस्था के अनुसरण में मूल्य आधारित लेन-देन किया गया है, जो समयानुकूल व्याप्त बाजार भाव के मद्देनजर न्यायसंगत है।	(ब) कोई टिप्पणी नहीं।
6. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए तथा 58एए एवं इसके तहत बनी नियमावली या कोई अन्य प्रासांगिक प्रावधान के अन्तर्गत कंपनी ने जन साधारण से किसी प्रकार का जमा नहीं लिया है।	6. कोई टिप्पणी नहीं।

7. वर्ष के दौरान कंपनी के आंतरिक अंकेक्षण बाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म के द्वारा निष्पादित कराया गया है तथापि कंपनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति पर ध्यान देते हुए, इसमें और अधिक कवर करने की जरूरत है।

7. नोट किया गया।

8. जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(डी) के तहत कंपनी के किसी भी उत्पादन के लिए लागत अभिलेख रख-रखाव निर्धारित नहीं किया है।

8. कोई टिप्पणी नहीं।

9. (अ) कंपनी द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा कर, उत्पाद कर, कर एवं अन्य सांविधिक बकाया समेत अविवादित सांविधिक बकाया नियमित रूप से समान्यतया जमा किया गया है तथा 31 मार्च, 2008 के अनुसार छह महीने से अधिक के देय अविवादित सांविधिक देय बकाया निम्नांकित छोड़ कर नहीं है :

संविधि के नाम	बकाया के प्रकार	रकम (रु.)	सम्बद्ध रकम की अवधि
बिहार वित्त अधिनियम, 1981	झारखण्ड बिक्री कर	28639798	फरवरी, 03 से मार्च, 06
	केन्द्रीय बिक्री कर	85208177	जनवरी, 03 से मार्च, 06
बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948	विद्युत शुल्क	1603316	अक्टूबर, 01 से मार्च, 02
		3023786	अप्रैल, 02 से मार्च, 03
		3176112	अप्रैल, 03 से मार्च, 04
		3506787	अप्रैल, 04 से मार्च, 05
		1811220	अप्रैल, 05 से मार्च, 06
		2024115	अप्रैल, 06 से मार्च, 07
नगर निगम कर अधिनियम	नगर निगम कर	6000000	अप्रैल 98 से मार्च 06

जैसा कि हमें सूचना दी गई निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कंपनी पर लागू नहीं है।

9. (अ) घोर वित्तीय संकट के कारण इन सांविधिक देयताओं को समय पर अदा नहीं किया जा सका।

(ब) कंपनी द्वारा दई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा कर, उत्पाद कर निम्नांकित छोड़कर के विवादित बकाया नहीं है, जिसे उपयुक्त प्राधिकारी के पास राशि जमा न की गई हो।

9. (ब) लेखा की टिप्पणी में खुलासा किया गया।

क्र. सं.	संविधि के नाम	कमिश्नर अपील (रु.)	ट्रीब्यूनल (रु.)	उच्च न्यायालय (रु.)	कुल (रु.)
1.	झारखण्ड बिक्री कर	38039000	5060000	—	43099000
2.	केन्द्रीय बिक्री कर	67603000	7051000	—	74654000
3.	भविष्य निधि	—	95,01,53,513	—	950153515
4.	उत्पाद कर	—	63198187	—	63198187

10. 31 मार्च 2008 के अनुसार कंपनी की संचित हानि कम्पनी के शुद्ध निवल मूल्य से 50% अधिक है। कम्पनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष और इसके ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में भी कवर किये गये हमारे अंकेक्षण के अनुसार नगद हानि नहीं हुई हैं।

11. हमारे अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण से हमारी राय में कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों एवं ऋण-पत्र धारकों के बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है। यद्यपि कम्पनी ने भारत सरकार को ऋण अदा करने में चूक की है।

12. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी ने शेयर, ऋण-पत्रों और अन्य प्रतिभूतियों के धरोहर रखने के आधार पर किसी प्रकार के ऋण एवं अग्रिम की स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

13. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी चिट फंड या निधि/पारस्परिक लाभ/सहयोग समितियों के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अतएव कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) के आदेश 2003 के 4 (XIII) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

14. कम्पनी ने अंकेक्षण के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋण-पत्रों एवं अन्य निवेशों से संबंधित व्यवसाय नहीं किया है।

15. कम्पनी ने बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों से अन्य पार्टियों द्वारा लिये गये ऋणों की कोई गांरटी प्रदान नहीं की है, जिसकी शर्ते मेरे विचार में कम्पनी के हित में प्रत्यक्षत: प्रतिकूल है।

16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के तुलन पत्र के समस्त परीक्षण के आधार पर हमारी राय में सावधि ऋण का उपयोग तत्संबंधित प्रयोजनार्थ किया गया है।

17. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के तुलन पत्र के समस्त परीक्षण के उपरांत स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा किसी प्रकार के लघुकालीन फंड की उगाही दीर्धकालीन निवेश के उपयोग के लिए नहीं की गई।

18. वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी अधिमान्य शेयर का आवंटन नहीं किया है।

19. कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड 4(XIX) एवं (XX) कंपनी पर लागू नहीं है।

20. कंपनी के लेखाबही के परीक्षण कार्य भारत में सामान्यत: लागू एवं स्वीकृत लेखा परीक्षण के अनुरूप निष्पादित किया गया और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कपट पूर्ण कार्य नहीं किया गया है तथा कंपनी को कोई ऐसी सूचना मिली है और न किसी प्रकार की रिपोर्ट की गई है और न प्रबंधन ने ऐसे मामलों की सूचना दी है।

कृते सलारपुरिया जाजोदिया एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
ह/-
(ललन कुमार) पार्टनर

स्थान : राँची
दिनांक : 02.08.2008

10. कंपनी के लेखा अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 में यह दर्शाय4 गया है कि रु. 26.94 करोड़ का नगद लाभ उपार्जित किया।

11. कोई टिप्पणी नहीं।

12. कोई टिप्पणी नहीं।

13. कोई टिप्पणी नहीं।

14. कोई टिप्पणी नहीं।

15. कोई टिप्पणी नहीं।

16. कोई टिप्पणी नहीं।

17. कोई टिप्पणी नहीं।

18. कोई टिप्पणी नहीं।

19. कोई टिप्पणी नहीं।

20. कोई टिप्पणी नहीं।

ह./-
(एस. के चक्रबर्ती)
वित्त प्रमुख

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

राँची – 834 004

हमारा उद्देश्य : मशीन द्वारा राष्ट्र का निर्माण

तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाता

2007-2008

31, मार्च 2008 तक तुलन–पत्र

(रूपये लाख में)

	अनुसूची		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007
निधियों का स्त्रोत					
अंशधारकों की निधि					
अंश (शेयर पूंजी)	1		45323.85		45323.85
आरक्षित एवं अतिरिक्त	2		12064.04		11979.07
ऋण निधियाँ					
प्रतिभूत ऋण	3		8196.06		6199.05
अप्रतिभूत ऋण	4		14096.29		12210.75
	योग		**79680.24**		**75712.72**
निधियों का उपयोग					
स्थायी परिसंपत्तियाँ					
सकल खण्ड		33140.77		32285.08	
घटायें : मूल्य ह्रास अद्यतन		27206.04		26832.13	
निवल खण्ड	5		5934.73		5452.95
पूंजीगत चालू कार्य	6		2710.36		1166.82
विनियोजन	7		0.36		0.36
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम					
वस्तु सूची	8	12465.39		12293.59	
विविध देनदार	9	14517.73		10755.44	
नकद तथा बैंक अधिशेष	10	1077.08		1568.48	
ऋण तथा अग्रिम	11	1521.02		1070.30	
	योग	29581.22		25687.81	
घटाये : चालू दायित्व तथा व्यवस्था					
चालू दायित्व	12	56148.70		54278.40	
व्यवस्थाएँ	13	11354.61		11316.28	
	योग	67503.31		65594.68	
निवल चालू परिसंपत्तियाँ			37922.09		(39906.87)
आस्थगित राजस्व व्यय	14		658.44		0.00
लाभ तथा हानि खाता					
अधिशेष संलग्न खाते के अनुसार			108298.44		108999.46
	योग		**79680.24**		**75712.72**
लेखा पर टिप्पणियाँ	25				

अनुसूची '1' से '25' एवं महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति इन लेखाओं के अभिन्न अंग है।

ह./–	ह/–	ह./–	ह./–
(ए. के. कंठ)	(एस. के. चक्रबर्ती)	(आर. मिश्रा)	(जी. के. पिल्लई)
कम्पनी सचिव	वित्त प्रमुख	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक

सम तिथि के अनुरुप हमारी रिपोर्ट

कृते सलारपुरिया जाजोदिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

स्थान : राँची
दिनांक : 02.08.2008

ह./ **(ललन कुमार)** पार्टनर

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रूपये लाख में)

	अनुसूची		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007
आय					
कुल बिक्री			41292.39		30390.39
घटाएँ उत्पाद शुल्क			4408.06		3708.21
निबल बिक्री			36884.33		26682.18
आन्तरिक उपयोग के लिए सम्पन्न कार्य			369.65		488.55
अर्द्धनिर्मित तथा पूर्णनिर्मित वस्तुओं में अभिवृद्धि/ह्रास	15		1032.26		909.87
अन्य आमद	16		946.91		885.74
वर्ष की हानि अधोनित			16.53		1148.05
		योग	39249.68		30114.39
व्यय					
कच्चे माल तथा अवयवों की खपत		16791.98		14169.03	
घटाएँ अन्तर प्लांट हस्तान्तरण		5289.38	11502.60	5814.88	8354.15
भंडार (स्टोर्स) तथा अतिरिक्त पुर्जो की खपत			6441.59		3237.65
अनुसंधान तथा विकास व्यय	17		6.03		7.46
कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं पर व्यय	18		7245.20		6260.02
उत्पादन, प्रशासन, विक्रय तथा वितरण संबंधी अन्य व्यय	19	10831.73		8920.22	
घटाएँ अन्तर प्लांट हस्तान्तरण		676.92	10154.81	491.74	8428.48
ब्याज	20		2746.99		2132.13
मूल्यह्रास	5		320.43		290.88
व्यवस्थाएँ	21		1152.25		1467.86
नगर क्षेत्र एवं सामाजिक कल्याण पर व्यय	22		(320.22)		(122.78)
विविध हानि अपलेखन			0.00		58.54
		योग	39249.68		30114.39
वर्ष का लाभ / हानि लाये गये			(16.53)		(1148.05)
पूर्वकालिन आय (खर्च)	23		433.14		1437.19
		योग	416.61		289.14
स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना खर्च			0.00		3.36
निबल लाभ / (हानि)			416.61		285.78
विगत वर्ष से अधोनित शेष हानि			108999.46		109285.24
कर्मचारी सुविधा प्रावधान हेतु समायोजन	24		284.41		0.00
तुलन पत्र में ली गई शेष हानि		योग	108298.44		108999.46
लेखा पर टिप्पणियाँ	25				

अनुसूची 1 से 25 एवं महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति इन लेखाओं के अभिन्न अंग है।

ह./–	ह/–	ह./–	ह./–
(ए. के. कंठ)	(एस. के. चक्रबर्ती)	(आर. मिश्रा)	(जी. के. पिल्लई)
कम्पनी सचिव	वित्त प्रमुख	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

सम तिथि के अनुरुप हमारी रिपोर्ट

कृते सलारपुरिया जाजोदिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

स्थान : राँची
दिनांक : 02.08.2008

ह./ **(ललन कुमार)** पार्टनर

(रूपये लाख में)

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007

अनुसूची – 1

	31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
अंश पूंजी		
अधिकृत पूंजी	50,000.00	50,000.00
5000000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 1000/– के		
निर्गत एवं अभिदत पूंजी		
45,32,335 (विगत वर्ष 45,32,335) इक्विटी शेयर प्रत्येक 1000/– रु. के पूर्णतः भुगतान किए गए जिसमें से 5496 (विगत वर्ष 5496) शेयर के मूल्य नकद में न प्राप्त होकर अन्य रूप में प्राप्त हुए।	45323.35	45323.35
	45323.35	45323.35
शेयर प्रयुक्ति राशि (शेयर आवंटन लंबित)	0.50	0.50
	45323.85	45323.85

अनुसूची – 2

		31 मार्च, 2008	31 मार्च, 2007
आरक्षित एवं अधिशेष			
पूँजी आरक्षित			
प्रारंभिक अधिशेष		11979.07	5181.58
वर्ष के दौरान योग		536.77	8007.05
	योग	12515.84	13188.63
वर्ष के दौरान विलोपन / परिशोधन		451.80	1209.56
	योग	12064.04	11979.07

अनुसूची – 3

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007
प्रतिभूत ऋण				
कार्यशील पूंजी हेतु बैंक से ऋण	8196.06		6199.05	
जोड़े : ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	0.00	8196.06	0.00	6199.05
(कच्चामाल, तैयार माल, चालू कार्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों एवं खाता ऋण के हाइपोथिकेशन से प्रतिभूत)				
योग		8196.06		6199.05

अनुसूची – 4

		31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007
अप्रतिभूत ऋण				
* भारत सरकार से				
योजना ऋण	582.50		582.50	
योजना इतर ऋण	10221.00	10803.50	10221.00	10803.50
*** जोड़े : ब्याज प्रोद्भूत एवं देय**				
योजना ऋण	161.76		72.81	
योजना इतर ऋण	3131.03		1334.44	
		3292.79		1407.25
योग		14096.29		12210.75

आगामी वर्ष 2008–09 के लिए देय ब्याज सहित 15807.11 लाख रुपये, विगत वर्ष 10181.28 लाख रुपये।

अनुसूची – 5

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(रुपये लाख में)

परिसम्पत्तियों के स्वरूप	कुल खंड				मूल्य ह्रास				निवल खण्ड	
	01.04.06 को लागत	योग/ समंजन	कटोती/ समंजन	31.03.07 को लागत	31.03.06 तक	वर्ष के लिए	कटोती / समंजन	31.03.07 तक	31 मार्च 2007 को	31 मार्च 2006 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भूमि	233.35	0.00	0.00	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	233.35	233.35
भूमि विकास	113.78	0.00	0.00	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	113.78	113.78
प्लांट एवं मशीनरी	21386.39	472.81	0.00	21859.20	18714.31	250.39	0.00	18964.70	2894.50	2672.08
प्लांट एवं भवन	4589.12	0.00	0.00	4589.12	4178.41	16.97	0.00	4195.38	393.74	410.71
आवासीय भवन	1586.62	0.00	0.00	1586.62	800.60	25.19	0.00	825.79	760.83	786.02
गैर आवासीय भवन	1103.69	0.00	0.00	1103.69	433.43	17.72	0.00	451.15	652.54	670.26
सड़क एवं सेतु	272.39	0.00	0.00	272.39	92.71	4.44	0.00	97.15	175.24	179.68
रेलमार्ग एवं पथिकाएँ (साईडिंग्स)	285.67	0.00	0.00	285.67	271.22	0.12	0.00	271.34	14.33	14.45
जल कार्य एवं मल व्यवस्था	589.23	0.00	0.00	589.23	532.15	1.49	0.00	533.64	55.59	57.08
विद्युत संस्थापनाएँ	539.00	8.44	0.00	547.44	499.55	1.36	0.00	500.91	46.53	39.45
मोटर गाड़ी एवं लोकोमोटिवस	241.46	12.73	0.29	253.90	224.35	1.96	0.27	226.04	27.86	17.11
निर्माण एवं अन्य उपकरण	316.98	0.00	0.00	316.98	283.66	3.05	0.00	286.71	30.27	33.32
तथा अन्य कार्यालय उपस्कर	525.64	8.07	0.00	533.71	470.71	8.61	0.00	479.32	54.39	54.93
योग	31783.32	502.05	0.29	32285.08	26501.10	331.30	0.27	26832.13	5452.95	5282.22
विगत वर्ष के आंकड़े	31696.86	227.01	140.55	31783.32	26277.29	357.35	133.54	26501.10	5282.22	

चालू अवधि मूल्यह्रास	290.88
पूर्वकालिन मूल्यह्रास	0.15
अनुसूची ''21'' में दर्शाया गया मूल्यह्रास	39.27
आरएण्डडी खर्च पर हस्तान्तरित मूल्यह्रास	1.00
कुल मूल्यह्रास	331.30

टिप्पणी :-

1. आवासीय भवनों में 6529 अदद् (विगत वर्ष 4652 अदद) लीज पर दिए गए भवन शामिल हैं, जिसकी लागत 757.42 लाख रु. (विगत वर्ष 444.90 लाख रु.) है। ह्रासित मूल्य 348.36 लाख (विगत वर्ष 212.04 लाख रु.)
2. एच.ई.सी. के पक्ष में 7199.53 एकड़ के भू-विलेख हस्तान्तरण में शामिल है, 2313 एकड़ राज्य सरकार से प्राप्त बिना लागत की भूमि तथा 316.19 एकड़ ऐसी भूमि जिसे बिहार सरकार ने स्वत: अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को हस्तान्तरण किया है।
3. भूमि की लागत में शामिल है 331.29 एकड़ की भूमि जिसे 16.91 लाख रु. में लीज पर दिया गया है।

अनुसूची – 6

पूंजीगत चालू कार्य लागत खर्च

प्लांट एवं मशीनरी	1639.73		1400.14	
घटाये : व्यवस्था	472.91	1166.82	501.54	898.60
	योग	1166.82		898.60

टिप्पणी : 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के अन्तर्गत 1132.30 लाख रुपये के ऐसे कार्य है जिनकी प्रगति शून्य/धीमी है (विगत वर्ष 1119.30 लाख रुपये)।

अनुसूची – 7

निवेश (व्यापार निवेशों के अलावाँ) अनुद्धृत		
918 (विगत वर्ष 918) ई.पी.आई.लि. के इक्विटी शेयर	0.36	0.36
जिसका अंकित मूल्य 38.95 रु. प्रति शेयर है।		
योग	**0.36**	**0.36**

इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस इण्डिया लि. के शेयरों का अभिदत्त अंकित मूल्य केन्द्र सरकार के आदेश संख्या 40/01/2003-सीएल III दिनांक 17.11.2003 के अनुमोदन से 1000 रु. से घटाकर 38.95 रु. प्रति शेयर किया गया है।

अनुसूची - 5

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(रुपये लाख में)

परिसम्पत्तियों के स्वरूप	कुल खंड				मूल्य ह्रास				निवल खण्ड	
	01.04.07 को लागत	योग/ समंजन	कटोती / समंजन	31.03.08 को लागत	31.03.07 तक	वर्ष के लिए	कटोती / समंजन	31.03.08 तक	31 मार्च 2008 को	31 मार्च 2007 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भूमि	233.35	0.00	0.00	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	233.35	233.35
भूमि विकास	113.78	0.00	0.00	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	113.78	113.78
प्लांट एवं मशीनरी	21859.20	722.94	0.00	22582.14	18964.70	278.80	0.00	19243.50	3338.64	2894.50
प्लांट एवं भवन	4589.12	17.68	0.00	4606.80	4195.38	14.12	0.00	4209.50	397.30	393.74
आवासीय भवन	1586.62	0.00	0.00	1586.62	825.79	25.19	0.00	850.98	735.64	760.83
गैर आवासीय भवन	1103.69	46.00	0.00	1149.69	451.15	30.45	0.00	481.60	668.09	652.54
सड़क एवं सेतु	272.39	0.00	0.00	272.39	97.15	4.44	0.00	101.59	170.80	175.24
रेलमार्ग एवं पथिकाएँ (साईडिंग्स)	285.67	49.00	0.00	334.67	271.34	4.67	0.00	276.01	58.66	14.33
जल कार्य एवं मल व्यवस्था	589.23	0.00	0.00	589.23	533.64	1.49	0.00	535.13	54.10	55.59
विद्युत संस्थापनाएँ	547.44	6.77	0.00	554.21	500.91	2.85	0.00	503.76	50.45	46.53
मोटर गाड़ी एवं लोकोमोटिवस	253.90	7.16	0.00	261.06	226.04	0.58	0.00	226.62	34.44	27.86
निर्माण एवं अन्य उपकरण	316.98	0.00	0.00	316.98	286.71	3.08	0.00	289.79	27.19	30.27
तथा अन्य कार्यालय उपस्कर	533.71	6.14	0.00	539.85	479.32	8.24	0.00	487.56	52.29	54.39
योग	**32285.08**	**855.69**	**0.00**	**33140.77**	**26832.13**	**373.91**	**0.00**	**27206.04**	**5934.73**	**5452.95**
विगत वर्ष के आंकड़े	31783.32	502.05	0.29	32285.08	26501.10	331.30	0.27	26832.13	5452.95	

चालू अवधि मूल्यह्रास	320.43
पूर्वकालिन मूल्यह्रास	12.92
अनुसूची ''22'' में दर्शाया गया मूल्यह्रास	39.56
आर एण्ड डी खर्च पर हस्तान्तरित मूल्यह्रास	1.00
कुल मूल्यह्रास	373.91

टिप्पणी :-

1. आवासीय भवनों में 6743 अदद् (विगत वर्ष 6529 अदद) लीज पर दिए गए भवन शामिल हैं, जिसकी लागत 782.25 लाख रु. (विगत वर्ष 727.42 लाख रु.) है। ह्रासित मूल्य 359.78 लाख (विगत वर्ष 348.36 लाख रु.)।
2. एच.ई.सी. के पक्ष में 7199.53 एकड़ के भू-विलेख हस्तान्तरण में शामिल है, 2313 एकड़ राज्य सरकार से प्राप्त बिना लागत की भूमि तथा 316.19 एकड़ ऐसी भूमि जिसे बिहार सरकार ने स्वत: अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को हस्तान्तरण किया है।
3. भूमि की लागत में शामिल है 331.29 एकड़ की भूमि जिसे 16.91 लाख रु. में लीज पर दिया गया है।
4. कोलकत्ता भवन (गैर आवासीय) जो कम्पनी के कब्जे में है, जिसका मूल्य 100.48 लाख रुपये है तथा जिसका स्वामित्व पट्टा अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।
5. सम्पूर्ण परिसम्पतियों सहित स्थायी परिसम्पती 354.06 लाख रु. डब्लूडीभी 17.70 लाख रु. जिसके लिए आवश्यक प्रवाधान किया गया है।

अनुसूची - 6

<u>पूंजीगत चालू कार्य लागत खर्च</u>

प्लांट एवं मशीनरी	3190.97		1639.73	
घटाये : व्यवस्था	480.61	2710.36	472.91	1166.82
	योग	2710.36		1166.82

टिप्पणी :- 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के अन्तर्गत 1132.30 लाख रुपये के ऐसे कार्य है जिनकी प्रगति शून्य/धीमी है (विगत वर्ष 1132.30 लाख रुपये)।

अनुसूची - 7

निवेश (व्यापार निवेशों के अलावाँ) अनुद्धृत 918 (विगत वर्ष 918) ई.पी.आई लि. के इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य 38.95 रु. प्रति शेयर है।	0.36	0.36
योग	**0.36**	**0.36**

इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस इण्डिया लि. के शेयरों का अभिदत्त अंकित मूल्य केन्द्र सरकार के आदेश संख्या 40/01/2003-सी एल III दिनांक 17.11.2003 के अनुमोदन से 1000 रु. से घटाकर 38.95 रु. प्रति शेयर किया गया है।

अनुसूची – 8

(रूपये लाख में)

	31 मार्च, 2008		31 मार्च, 2007	
वस्तुसूची				
(प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित)				
कच्चे माल तथा अवयव	4259.13		4872.84	
घटाये व्यवस्था	1610.32		1586.17	
घटाये स्टॉक समंजन	65.08	2583.73	62.38	3224.29
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे एवं अवयव				
निर्माण सामग्रियों सहित	922.45		874.31	
घटायें व्यवस्था/स्टॉक समंजन	333.07	589.38	303.46	570.85
मार्गस्थ माल/निरीक्षणाधीन	1301.27		1519.10	
घटाये व्यवस्था	346.24	955.03	256.59	1262.51
अलग्न औजार, (लूज टूल्स) रेखांकन यंत्र इत्यादि	817.44		726.54	
घटाये व्यवस्था	0.00	817.44	0.00	726.54
निर्मित उत्पाद स्टॉक	1462.92		827.11	
घटाये व्यवस्था	126.38	1336.54	252.05	575.06
प्रगतिशिल कार्य	6584.55		6211.08	
घटाये व्यवस्था	424.26	6160.29	276.74	5934.34
प्रगतिशिल कार्य (टर्नकी प्रोजेक्ट)	22.98		0.00	
घटाये व्यवस्था	0.00	22.98	0.00	0.00
हटाया गया परिसम्पत्तियाँ	3.48		3.47	
घटाये व्यवस्था	3.48	0.00	3.47	0.00
कुल वस्तु	15374.22		15034.45	
घटाये व्यवस्था / स्टॉक समंजन	2908.83	12465.39	2740.86	12293.59

टिप्पणी :– 1. समापन भंडार में निर्मित एवं प्रगतिशील कार्य के 78.62 लाख रूपये (विगत वर्ष 86.27 लाख रु.) मूल्य के बन्द, निरस्त पुराने कार्यादेशों की वे वस्तुएँ जिनका मूल्यांकन स्क्रैप दर पर किया गया है, शामिल हैं।

2. अचल कच्चा माल, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे जो तीन वर्ष के अधिक के है, का मूल्य 1685.65 लाख रूपये (विगत वर्ष 1668.93 लाख रूपये) है एवं इसके लिए वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त पाया गया।
3. मार्गस्थ सामग्री में सी भी ड्यूटी 84.40 लाख रूपये शामिल है (विगत वर्ष 101.15 लाख रूपये)।
4. अन्य पार्टियों के पास 141.75 लाख रु. का माल पड़ा हुआ है जिसके लिए विद्यमान प्रावधान – 136.33 लाख रु. का है।
5. निर्मित उत्पाद में शामिल 74.12 लाख रु. (विगत वर्ष 57.19 लाख रु.) का तैयार माल डिपो में पड़ा हुआ है।
6. शॉपफ्लोर में 70.61 लाख रु. का स्क्रैप सहित कच्चामाल एवं अवयव (विगत वर्ष 155.71 लाख रु.) शामिल है।

अनुसूची – 9

विविध देनदार								
अप्रतिभूत बकाया ऋण	छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	कुल ऋण		छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	कुल ऋण	
(अ) **लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग**								
प्राप्य: समझे गये	5005.73	8980.00	13985.73		5701.12	4703.50	10404.62	
संदेहात्मक समझे गये	4670.59	107.49	4778.08		4217.63	76.12	4293.75	
	9676.32	9087.49	18763.81	18763.81	9918.75	4779.62	14698.37	14698.37
(ब) **अन्य**								
प्राप्य: समझे गये	122.10	409.90	532.00		152.33	198.49	350.82	
संदेहात्मक समझे गये	341.81	0.00	341.81		267.12	0.14	267.26	
	463.91	409.90	873.81	873.81	419.45	198.63	618.08	618.08
				19637.62				15316.45
घटाये :–संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था			3953.79				3688.62	
निर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था			1166.10				872.39	
			5119.89	5119.89			4561.01	4561.01
			योग	14517.73				10755.44

टिप्पणी :- विविध देनदारियों में सम्मिलित हैं उस प्रकार के 599.89 लाख रूपये के डिस्पैच जिनका बिल नहीं दिया गया है (विगत वर्ष 1657.00 लाख रूपये) जो कि कान्ट्रा अग्रिम 443.68 लाख रूपये में संमजनोपरांत (विगत वर्ष 933.48 लाख रूपये)। विविध देनदारियों में पूर्व में आपूर्ति की गई उपकरण के मद में 2854.13 लाख (विगत वर्ष 2241.55 लाख रुपया) भी शामिल है, जिसकी वसूली कुछ संविदात्मक वाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

(रूपये लाख में)

	31 मार्च 2008	31 मार्च 2007

अनुसूची - 10

		31 मार्च 2008	31 मार्च 2007
नकद एवं बैंक अथशेष			
अपने पास रखे हुए नकद, चेक तथा ड्राफ्ट (इसमें शामिल है 0.07 लाख रु. (विगत वर्ष 0.07 लाख रु. के टिकट तथा विकृत करेन्सी नोट)		14.76	77.68
मार्गस्थ चेक		150.19	885.92
अनुसूचित बैंकों में शेष			
चालू खाता (इसके अन्तर्गत शामिल है 115.81 लाख रु. (विगत वर्ष 116.67 लाख रु.) जो विशेष प्रयोजन के लिए सुरक्षित है)		724.29	425.58
अल्पकालीन जमा (लियन के रूप में एसटीडीआर रखा गया है)		66.92	66.92
अन्य बैंक में अथशेष			
अल्पकालीन जमा		120.92	112.38
	योग	1077.08	1568.48

अनुसूची - 11

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007
ऋण एवं अग्रिम				
अग्रिम ऋण तथा अग्रिम अन्य राशियां जो नकद व वस्तु या प्राप्य मूल्य में बसूलने योग्य है (ठेकेदारों, वाह्य पार्टियों को आपूर्तित तथा / समंजन निलंबित सामग्रियों के मूल्य सहित)				
प्रतिभूत				
प्राप्य समझे गये		62.26		0.00
अप्रतिभूत				
प्राप्य समझे गये	830.85		684.80	
संदेहात्मक समझे गये	897.85		830.18	
	1728.70		1514.98	
घटाये : अप्राप्य तथा संदेहात्मक अग्रिम के लिए व्यवस्था	897.85	830.85	830.18	684.80
कर्मचारी सहयोग समितियों का अर्थ शेष	9.00		9.00	
घटाये : व्यवस्था	9.00	0.00	9.00	0.00
निजी पार्टियों के पास जमा राशि		2.41		2.31
सरकारी अधिकारियों के पास जमा निधि		127.41		154.60
पूर्वदत्त व्यय		11.59		6.96
प्राप्य दावें		339.54		158.90
स्रोत पर काटे गये आयकर		146.15		62.02
स्टाफ तथा ठेकेदारों द्वारा प्रतिभूति जमा अनुसूची '12' के अनुसार		0.81		0.71
	योग	1521.02		1070.30

निदेशकों से प्राप्य राशि 0.00 लाख रुपये। वर्ष के दौरान किसी भी समय निदेशकों द्वारा अधिकतम देय राशि 0.81 लाख रुपये।

अनुसूची - 12

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007
देयताएँ				
विविध लेनदार	3994.88		2474.98	
कर्मचारियों के देयताएँ	4947.73		4205.42	
एस.एम.ई. का बकाया	95.91		57.64	
स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना देयताएँ	31.11		33.73	
अन्य	40184.23	49253.86	40148.52	46920.29
अन्य देयताएँ				
ग्राहकों से अग्रिम	3400.07		3940.64	
जमानत तथा अन्य जमा राशि ठेकेदारों आदि से	609.59		812.26	
जमानत तथा जमा राशि अनुसूची '11' के लेखानुसार	0.81		0.71	
अनुसूचित बैंकों के साथ ओवर ड्राफ्ट खाता	367.55		414.26	
विविध	2351.13	6729.15	2056.79	7224.66
उपार्जित ब्याज पर देय नहीं		165.69		133.45
योग		56148.70		54278.40

टिप्पणी :- 738.49 लाख रु. (विगत वर्ष 365.58 लाख रु.) तदर्थ अग्रिम का समंजन के बाद कर्मचारियों के देयता के लिए लेखाबद्ध किया गया है।

(रूपये लाख में)

	31 मार्च 2008	31 मार्च 2007

अनुसूची – 13

व्यवस्थाएँ

	31 मार्च 2008	31 मार्च 2007
उपदान (ग्रेच्यूटी) के लिए व्यवस्था	4633.05	5018.88
छुट्टी नगदीकरण के लिए व्यवस्था	2184.68	2343.64
निवृत्ति यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	200.91	0.00
अस्वास्थ्य अवकाश हेतु व्यवस्था	572.92	0.00
कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए व्यवस्था	3413.18	3715.25
विकृत परिसम्पतियों हेतु व्यवस्था	17.57	17.35
विक्रय के बाद सेवा व्यवस्था	332.17	218.39
विविध हानि के लिए व्यवस्था	0.13	2.77
योग	11354.61	11316.28

अनुसूची – 14

आस्थगित राजस्व व्यय

	31 मार्च 2008	31 मार्च 2007
(i) निवृति यात्रा भत्ता का आस्थगित बीमांकिक मूल्यांकन	160.72	0.00
(ii) अस्वास्थ्य अवकाश का आस्थगित बीमांकिक मूल्यांकन	458.33	0.00
(iii) तकनीकी जानकारी शुल्क	39.39	0.00
योग	658.44	0.00

अनुसूची – 15

प्रगतिशील कार्य और निर्मित भंडार में मूल्य वृद्धि (मूल्य ह्रास)

	31 मार्च 2008		31 मार्च 2007	
प्रगतिशील कार्य				
प्रारंभिक स्टॉक	6211.08		5656.90	
समापन स्टॉक	6607.53	396.45	6211.08	554.18
निर्मित स्टॉक				
प्रारंभिक स्टॉक	827.11		471.42	
समापन स्टॉक	1462.92	635.81	827.11	355.69
योग		1032.26		909.87

अनुसूची – 16

अन्य आमद

	31 मार्च 2008	31 मार्च 2007
ब्याज	13.86	9.27
किराया	0.92	0.89
विविध आय	199.41	105.09
परिसम्पतियों के बिक्री पर लाभ	0.00	11.49
अधिक व्यवस्था पुन:लेखित	318.18	565.43
स्टोर्स के बिक्री पर लाभ	405.35	185.04
एच.टी.आई. से आमदनी	9.19	8.53
योग	946.91	885.74

टिप्पणी : ई.डी. सहित स्टोर्स के बिक्री योग पर लाभ (निबल) 0.80 लाख रु. (विगत वर्ष 8.67 लाख रु.)

अनुसूची – 17

अनुसंधान एवं विकास व्यय

	31 मार्च 2008	31 मार्च 2007
कच्चामाल, भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों की खपत	0.00`	1.05
वेतन एवं भत्ते	5.03	5.41
मूल्य ह्रास	1.00	1.00
योग	6.03	7.46

(रूपये लाख में)

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007

अनुसूची – 18

कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007
वेतन, मजदूरी तथा बोनस		6673.79		5599.86
भविष्य निधि एवं कर्मचारी पेंशन निधि में निगम का अंशदान		420.44		419.53
श्रमिक एवं स्टॉफ के लिए कल्याण व्यय (अनुमानित आधार पर 32.16 लाख रूपये यात्रा सहायता भत्ता की व्यवस्था शामिल है (विगत वर्ष 41.37 लाख रु.)		305.56		260.14
उपदान		575.93		623.88
योग		7975.72		6903.41
घटायें :– 1. नगर क्षेत्र तथा सामाजिक अधिव्यय में हस्तान्तरित	725.49		637.98	
2. अनुसंधान तथा विकास खर्च में हस्तांतरित	5.03	730.52	5.41	643.39
योग		7245.20		6260.02

निदेशकों का पारिश्रमिक

(अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित)

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007
वेतन (छुट्टी वेतन सहित)		10.05		3.41
भविष्य निधि अंशदान		0.93		0.33
उपदान		0.36		0.15
योग		11.34		3.89

टिप्पणी : भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्गत पत्रांक दिनांक 23 सितम्बर 1999 के नवीनतम संशोधन के अनुसार पूर्वकालिक निदेशकों को 325 रु. प्रतिमाह की अदायगी पर 750 किलोमीटर की सीमा रेखा तक व्यक्तिगत यात्रा सहित कंपनी के कार के प्रयोग की अनुमति दी गयी है।

अनुसूची – 19

अन्य निर्माण, प्रशासनिक, बिक्री एवं वितरण पर व्यय

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007
बिजली एवं ईंधन		2741.78		2780.49
किराया (दर और कर सहित 1.43 लाख रूपये विगत वर्ष 1.41 लाख रूपये)		5.23		4.90
उत्पाद शुल्क		131.22		69.65
बीमा		20.63		27.14
सामान्य व्यय (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर 659.43 लाख रूपये खर्च सहित विगत वर्ष 649.23 लाख रूपये)		1445.50		1249.44
सम्पति कर		0.20		0.09
मोटर गाड़ी का चालू व्यय		40.26		38.92
विक्रय प्रोन्नयन		255.19		220.29
मरम्मत एवं रख-रखाव खर्च :				
प्लांट एवं मशीनरी	334.20		181.73	
भवन	20.03		16.83	
अन्य	148.64	502.87	116.88	315.44
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
अंकेक्षण शुल्क	1.44		1.20	
कर अंकेक्षण शुल्क	0.20		0.20	
सेवा कर	0.20	1.84	0.17	1.57
परिशोधन	515.36		485.56	
औजार	4.38	519.74	0.00	485.56
तकनीकी जानकारी				
प्रशिक्षण व्यय		1.88		0.15
उत्पादन हेतु अन्य खर्च				
मशीनिंग खर्च	505.26		446.30	
अन्यान्य	4660.13	5165.39	3280.28	3726.58
योग		10831.73		8920.22

टिप्पणी : मरम्मत एवं रख-रखाव में भंडार और पुर्जे के बावद 416.55 लाख रुपये शामिल है (विगत वर्ष 198.88 लाख रु.)। ठेका कार्य के अन्तर्गत देय राशि में 74.18 लाख रु. बोनस भी शामिल है (विगत वर्ष 46.14 लाख रु.)।

अनुसूची – 20

ब्याज

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007
सरकारी ऋण पर ब्याज		1917.78		1527.52
अन्यान्य पर ब्याज		829.21		604.61
योग		2746.99		2132.13

(रूपये लाख में)

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007

अनुसूची - 21

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007
व्यवस्थायें				
अप्राप्य एवं संदेहात्मक ऋण तथा अग्रिम के लिए व्यवस्था		226.17		274.18
निर्धारित क्षति-पूर्ति हेतु व्यवस्था		557.80		817.72
विकृत परिसम्पत्तियों हेतु व्यवस्था		0.35		15.26
विविध व्यवस्थायें		367.93		360.70
योग		1152.25		1467.86

अनुसूची - 22

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007
नगर क्षेत्र एवं समाज कल्याण				
व्ययः				
कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं व्यवस्थायें		725.49		637.98
सामान्य व्यय (पर्यावरणीय व्यय के 2.00 लाख रूपये सहित विगत वर्ष 2.00 लाख रूपये)		27.83		15.15
जल तथा विद्युत खर्च		121.95		113.59
नगरपालिका कर / खर्च		8.00		8.00
मोटरगाड़ी का चालू व्यय		1.44		1.47
रख-रखाव एवं मरम्मत (भंडार सहित 0.21 लाख रूपये, विगत वर्ष 84 लाख रूपये)				
भवन	6.30		6.71	
अन्यान्य	15.67	21.97	12.64	19.35
मूल्य ह्रास		39.56		39.27
व्यवस्था		81.14		160.71
योग		1027.38		995.52
नगर क्षेत्र से आयः				
किराया, जल और विद्युत चार्जेज		1202.67		1048.93
अधिक व्यवस्था पुनःलिखित		43.43		0.00
ब्याज		1.35		1.35
विविध आय		100.15		68.02
		1347.60		1118.30
लाभ तथा हानि लेखा में दर्शाये गये खर्च — योग		(320.22)		(122.78)

अनुसूची - 23

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007
पूर्वकालिक समंजन				
आय :				
विक्रय (सेवाओं सहित)		(115.64)		(0.57)
विगत वर्ष व्यय पुनःलेखित		13.89		460.70
देयता आवश्यक नहीं पुनःलेखित		784.25		80.52
योग		682.50		540.65
घटायें : व्यय				
कच्चेमाल की खपत		159.79		28.70
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जों की खपत		0.00		32.14
कर्मचारियों का वेतन एवं व्यवस्थाएँ		40.48		12.03
नगर क्षेत्र अधिभार		0.52		(992.65)
मूल्य ह्रास		12.40		0.15
विविध व्यय (निबल)		36.17		23.09
योग		249.36		(896.54)
निबल		433.14		1437.19

अनुसूची - 24

		31 मार्च 2008		31 मार्च 2007
समंजन हेतु कर्मचारी लाभ व्यवस्था				
(1) उपदान का बीमांकिक मूल्यांकन		245.71		0.00
(2) छुट्टी नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन		38.70		0.00
कुल		284.41		0.00

अप्रैल 2007 – मार्च 2008 के तुलन पत्र पर संलग्न कैश-फ्लो विवरण

(रूपये लाख में)

		2007–08		2006–07
अ. परिचालन कार्य से कैश-फ्लो				
कर पूर्व निवल लाभ		416.61		285.78
समंजन हेतु :				
मूल्य ह्रास	373.91		331.03	
ब्याज खर्च	2746.99		2132.13	
समंजन हेतु कर्मचारी लाभ व्यवस्था	284.41		0.00	
राजस्व व्यय आस्थगित	(658.44)		0.00	
पट्टा आय	(451.80)		(1209.56)	
इंक्रीमेंटल व्यवस्थाएँ	38.33	2333.40	(1429.47)	(175.87)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व परिचालन द्वारा लाभ		2750.01		109.91
समंजन हेतु :				
व्यापार व अन्य प्राप्य राशि	(3762.29)		(2043.03)	
वस्तुसूची	(171.80)		(3035.23)	
व्यापार में देय राशि	1870.30		(1303.01)	
ऋण एवं अग्रिम	(450.72)	(2514.51)	129.22	(6252.05)
आपरेशन से प्राप्त रोकड़		235.50		(6142.14)
परिचालन से प्राप्त निवल रोकड़		235.50		(6142.14)
ब. निवेश कार्य से कैश फ्लो :				
स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय	(855.69)		(502.05)	
स्थायी परिसम्पत्तियों का विक्रय/समंजन	0.00		0.29	
पूंजीगत चालू कार्य में संमजन	(1543.54)		(268.22)	
पट्टा आय	451.80		1209.56	
निवेश कार्य से प्राप्त निवल रोकड़		(1947.43)		439.58
स. वित्तीय कार्यकलाप से कैश फ्लो :				
आय / दीर्घकालिन से	(32.24)		897.73	
लाये गए सरकारी ऋण पर समंजन				
ब्याज भुगतान	(829.21)		(604.61)	
लघुकालीन ऋण	1997.01		(11426.99)	
पट्टे में दिए परिसंपतियों पर दायित्व	84.97		6797.49	
वित्तीय कार्यकलाप में निवेशित निवल रोकड़		1220.53		(4336.38)
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में निवल वृद्धि / (ह्रास)		(491.40)		(10038.94)
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का प्रारंभिक अधिशेष		1568.48		11495.04
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का समापन अधिशेष		1077.08		1456.10
		(491.40)		(10038.94)

टिप्पणी : निम्नलिखित परोक्ष प्रक्रिया से तैयार किया गया कैश-फ्लो।

अनुसूची ''25''

लेखा पर टिप्पणियाँ

कंपनी का लेखा ''सुनाम प्रतिष्ठान आधार'' पर तैयार किया गया हैं, जो वित्तीय उपलब्धता तथा भावी लाभप्रदता पर निर्भर है। अपने नकारात्मक निवल मूल्य के कारण रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 3 (I) (O) के आशय के अंतर्गत कंपनी निरन्तर रूग्ण औद्योगिक कंपनी है। कंपनी को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (वी.आई.एफ.आर.) के पास 24 फरवरी, 1992 को हवाले किया गया। बी.आई.एफ.आर. ने 26.08.96 को पुनर्वास योजना की मंजूरी दी एवं भारत सरकार ने इसे 31.03.95 को सीमांकन तिथि के साथ 7.2.97 को अनुमोदित किया।

बीआईएफआर ने इस योजना को असफल घोषित किया एवं कम्पनी को पुनरीक्षित पुनरुत्थान प्रस्ताव सुपुर्द करने को कहा, जिसे 11.07.2003 को प्रचालन एजेंसी को सौंपा गया। दिनांक 06.07.2004 को बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने का आदेश पारित किया।

तदुपरांत दिनांक 06.07.2004 को बीआईएफआर द्वारा कंपनी को बंद करने के पारित आदेश के मुद्दे को कंपनी ने 02.08.04 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनसंरचना अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) के पास बंदी पर रोक लगाने हेतु याचिका दायर की। भारी उद्योग विभाग ने भी कंपनी के पुनरुत्थान के लिए दिनांक 20.08.2004 को एएआईएफआर में याचिका दायर की।

चूँकि एएआईएफआर में उस समय बेंच कार्यरत नहीं था इसलिए कंपनी ने दिनांक 18.04.04 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में बंद करने के पारित आदेश पर रोक लगाने के लिए याचिका सं. 4513/04 दायर की। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में 09.09.2004 से 26.04.2007 के बीच अनेक बार सुनवाई होती रही है। भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर एचईसी के पुनरुत्थान हेतु अपनी उत्कृष्ट इच्छा जताई है।

इस बीच लोक उद्यम पुनसंरचना बोर्ड (बीआरपीएसई) के पास दिनांक 07.10.2005 को प्रस्तुत पुनरुत्थान प्रस्ताव पर विचार किया गया एवं प्रस्ताव पर बीआरपीएसई द्वारा विधिवत सिफारिश की गई तथा तत्पश्चात् केन्द्रीय मंत्री परिषद ने दिनांक 15.12.2005 को अनुमोदन किया यथा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुरूप रु. 15.27 करोड़ का योजनागत ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया एवं गैर योजनागत ऋण तथा रु. 1101.02 करोड़ के योजनागत और गैर योजनागत ऋण पर व्याज को माफ कर भारत सरकार द्वारा विधिवत कार्यान्वित किया गया। इस बीच भारत सरकार ने रु. 102 करोड़ का फंड प्रावधान किया जिसमें रु. 92.03 करोड़ के गैर योजनागत ऋण रु. 4.985 करोड़ योजनागत ऋण एवं शेष राशि रु. 4.985 करोड़ इक्विटी के रूप में उपलब्ध कराया। इसे माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 13.07.2006 को अनुमोदित किया, तदनुसार इसे वर्ष 2005-06 के वार्षिक लेखा में विचार किया गया। झारखण्ड सरकार द्वारा प्राप्त होनेवाला पुनरुत्थान पैकेज यथा बिजली बिल बकाया (रु. 500 करोड़) बिक्री कर बकाया (रु. 25.51 करोड़), जल प्रभार बकाया (रु. 31.03 करोड़), बिल्डिंग का निपटान तथा संलग्न जमीन के लिए रु. 80 करोड़ और अनुदान के रूप में रु. 170 करोड़ प्रदान के संबंध में, मंत्रि परिषद ने 14.12.2007 को अनुमोदन किया था, परन्तु यह अभी भी केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ लंबित है। झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण की जाने वाली जमीन की प्रमात्रा (रकबा) निश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित है।

एएआईएफआर में विगत सुनवाई दिनांक 15.05.2007 को सम्पन्न हुई। अपीलीय फोरम को माननीय उच्च न्यायालय, राँची में कंपनी द्वारा दायर की गई याचिका के संबंध में अभी तक की कार्यवाही से संबंधित मामलों से अवगत कराया गया। अपीलीय फोरम का मत था कि जब कंपनी की पुनरुत्थान योजना पहले ही मंजूर कर ली गई है तो बीआईएफआर द्वारा बंद करने का पारित आदेश लंबी अवधि तक जारी नहीं रहेगा। एएआईएफआर को तत्संबंधित मामला तब तक स्थगित रखना चाहिए जब तक इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता।

2. संभाव्य दायित्व :

   (क) संविदा की प्राक्कलित राशि, पूँजीगत लेखा में निष्पादित की जानेवाली शेष राशि तथा रु. 476.95 लाख की रकम उपलब्ध नहीं कराई गई (पिछले वर्ष रु. 23.89 लाख)

   (ख) असमाप्त उधार - पत्र की राशि रु. 302.58 लाख (पिछले वर्ष रु. 2830.15 लाख)।

   (ग) असमाप्त बैंक गांरटी की राशि रु. 4853.58 लाख (पिछले वर्ष रु. 4,667.17 लाख)।

   (घ) विलम्बित भुगतान के कारण विद्युत बिल पर अधिभार रु. 54886.86 लाख (पिछले वर्ष रु. 47,533.40 लाख)।

   (च) जल प्रभार रु. 976.38 लाख (पिछले वर्ष रु. 929.96 लाख)।

   (छ) भविष्य निधि बकाया पर हर्जाना रु. 9501.54 लाख (पिछले वर्ष रु. 9501.54 लाख)।

   (ज) कानूनी मामलों समेत अन्य व्यय की राशि रु. 2536.09 लाख (पिछले वर्ष रु. 1770.48 लाख)।

3. वर्ष के दौरान दीर्घकालीन पट्टे पर क्वार्टर आवंटन के मद में प्राप्त एकमुश्त राशि रु. 536.77 लाख प्राप्त हुई है। इसके अलावे वर्ष 1995-96 से 31.03.2008 तक दीर्घकालीन पट्टे के मद में प्राप्त रु. 13458.49 लाख में से रु. 448.49 लाख अनुबंध तिथि को बगैर ध्यान में रखे हुए लीज अवधि के आधार पर ऋण चुका दिया।

4. (अ) सेवाएं समेत कुल बिक्री रु. 482.37 लाख (पिछले वर्ष रु. 268.91 लाख)।

   (ब) कुल बिक्री में शामिल है मूल्यवृद्धि सहित बिल रहित बिक्रि रु. 558.59 लाख (पिछले वर्ष रु. 637.62 लाख)।

(स) कुल बिक्री में शामिल है प्रोजेक्ट डिवीजन द्वारा निष्पादित रु. 6502.36 लाख की टर्न की संविदा (पिछले वर्ष रु. 2024.01 लाख) जिसका मूल्यांकन संविदा के भुगतान शर्तों के अनुरूप कार्य प्रगति, निरीक्षित, प्रेषण/माल वाहक की सुपुर्दगी आदि के आधार पर अस्थायी दर पर करने के बाद बिल बनाया गया है।

(द) रु. 676.92 लाख की सेवाएं (पिछले वर्ष रु. 468.75 लाख) समेत रु. 5966.30 लाख राशि का अन्तर प्लांट हस्तांतरण (विगत वर्ष रु. 5973.71 लाख) कंपनी की कुल बिक्री से अलग किया गया है।

5. दिनांक 27.11.06 को सम्पन्न वेतन समझौते अभी भी भारत सरकार के अनुमोदन के प्रत्याशा में हैं। वेतन पुनरीक्षण के मद में 01.01.1997 से बकाया राशि की अदायगी के लिए लेखा में प्रावधान नहीं किया गया है।

6. वेतन आयोग की रिपोर्ट और इसका भारत सरकार से अनुमोदन लंबित होने के कारण सीआईएसएफ प्राधिकरण से बिल/सूचना की प्राप्ति न होने की वजह से सीआईएसएफ के लिए वेतन पुनरीक्षण एरियर का प्रावधान लेखा में नहीं किया गया है।

7. विभिन्न लेखों यथा विविध देनदारियों, ऋण एवं अग्रिम जमा अन्य पार्टियों के पास पड़ी हुई सामग्रियों एवं विविध लेनदारियों की सम्पुष्टि सम्बद्ध पार्टियों से प्राप्त नहीं हुई है।

8. सुक्ष लघु एवं मध्यम उद्योगों को रु. 90.32 लाख के अतिदेय रकम पर रु. 21.72 लाख के ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के नाम जिनके पास रु. 1.00 लाख से ज्यादा देय राशि 45 दिनों से अधिक समय तक बाकी है, अनुलग्नक-1 में उल्लिखित है।

9. यद्यपि दावा का हस्तांतरण कमिशनिंग के आधार पर पारित होगा और रु. 3381.80 लाख ग्राहकों की स्वीकृति को एमएसएफ इच्छापुर, वीएसएससी – त्रिवेन्द्रम, एनआईएनएल तथा डब्लूसीएल को बिक्री के रूप विचार किया गया है।

(एचएमटीपी रु. 1598.55 लाख तथा एचएमबीपी रु. 1783.25 लाख) जो वास्तविक उपकरणों का डिस्पैच एवं संबंधित ग्राहकों के स्टोर्स की पावती रसीद पर है। ग्राहकों ने बिक्री कर सहित डिस्पैच के विरुद्ध दिये गये बिल का भुगतान किया है।

10. वर्ष के दौरान नियमित अभ्यास के अनुसार लम्बी अवधि तक लंबित बकाया देयताओं की समीक्षा की गई एवं उस तिथि तक रु. 784.25 लाख की देयताएं अधिक समय तक विद्यमान नहीं है, जिसकी पहचान की गई एवं प्रतिलेखित किया गया। तद्नुसार वर्ष की लाभ प्रदता में उस सीमा तक वृद्धि हुई है।

11. वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखामानक-15 (संशोधित 2005) कंपनी द्वारा (लेखामानक) संशोधन नियमावली 2008, 1 अप्रैल 2007 से यथा संशोधित के तहत कर्मचारी हितलाभ के दायित्व और बीमांकिक मूल्यन के आधार पर पारगमन दायित्व को भी (अ) रु. 572.91 लाख रकम के अस्वस्थता अवकाश (ब) रु. 200.91 लाख के सेवानिवृत्त यात्रा सहायता के मद में पाँच वर्षों की अवधि से अधिक व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया है।

तद्नुसार वर्ष के दौरान रु. 154.77 लाख की राशि को व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है और उस सीमा तक वर्ष के दौरान लाभप्रदता में कमी आई है। इसके अतिरिक्त रु. 619.05 लाख की असम्बद्ध राशि को अग्रेनति किया गया तथा अनुसूची-14 के आस्थगित राजस्व व्यय के तहत दर्शाया गया है।

बीमांकिक मूल्यन आधारित ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के मद में संक्रमण प्रावधान प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड के अनुसार क्रमशः रु. 245.71 लाख राशि एवं रु. 38.70 लाख राशि, पुनरीक्षित एएस-15 के द्वारा यथा परामर्शित तथा कुल रु. 284.41 लाख की रकम जो 31.03.2007 तक की अवधि से संबंधित है, उसे कथित लेखा मानक के रुप में संचित लाभ-हानि लेखा से समंजित किया गया है।

अनुलग्नक – II में अपेक्षित खुलासा दर्शाया गया है।

12. प्रतिशेयर उपार्जन

प्रतिशेयर उपार्जन	2007-08	2006-07
प्रतिशेयर मूल उपार्जन	रु. 9.19	रु. 6.31
लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार शुद्ध लाभ	रु. 416.61 लाख	रु. 285.78 लाख
शेयरों की सं.	4532335	4532335
अवमिश्रित प्रति शेयर उपार्जन	रु. 9.19	रु. 6.31
लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार शुद्ध लाभ	रु. 416.61 लाख	रु. 285.78 लाख
समंजित शेयर अर्जी राशि उपरांत शेयरों की सं.	4532385	4532385

13. विवेकानुसार इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत लेखाकरण मानक-22 के आलोक में आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध) चिह्नित नहीं की गई है, क्योंकि संतोषप्रद प्रमाणों के आधार पर निश्चितता नहीं है कि भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध इन आस्थगित कर सम्पत्तियाँ का समंजन किया जा सकेगा।

14. सांविधिक बकायों एवं अन्य राशियों के भुगतान में विलंब होने पर ब्याज का प्रावधान, जहाँ कहीं भी लागू है, वहाँ निश्चित किया जा सकता है, किया गया है।

15. अक्टूबर 1999 से मार्च 2005 तक की अवधि के लिए बिलंबित सीपीएफ/इपीएफ बकाया पर नुकसान के भुगतान छोड़कर नुकसान के लिए आकस्मिक दायित्व के भुगतान हेतु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राँची से किसी प्रकार का नोटिस नहीं भेजा गया है।

16. इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत लेखाकरण मानक-17 (एएस-17) के अनुसार प्रत्येक यूनिट के निष्पादन एवं अन्य सूचनाएँ अनुलग्नक-III में उल्लिखित है।

17. आईसीएआई द्वारा निर्गत लेखाकरण मानक–18 (एएस–18) के अनुसार ''सम्बद्ध पार्टी प्रकटन'' का खुलासा निम्नवत है :

रु. लाख में

सम्बद्ध पार्टियों के नाम			**लेन-देन ब्योरे**
मुख्य कार्मिक प्रबंधन	**अवधि**	**पारिश्रमिक**	**आवधिक लाभ**
1. श्री जी. के. पिल्लई सीएमडी	5/2007 3/2008	4.48	0.32
2. श्री एम. आर. वेणुगोपाल निदेशक (कार्मिक)	4/2007– 3/2008	5.88	0.66
कुल		10.36	0.98

उपर्युक्त वेतन के अलावा उन्हें रियायती दर पर आवास एवं कार उपलब्ध कराये गये।

18. वर्ष के दौरान कुछ क्षेत्रों में जैसे परिवहन, अस्पताल, खपत आइटम यथा : पेट्रॉल, डीजल, दवा एवं लेखन सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया है।

19. असमाप्त उधार पत्र में शामिल आइटम जो आयातित प्रक्रियाधीनस्थ रु. 47.86 लाख थी जो शंधई से कोलकता आने के रास्ता में था, तभी दूसरी ओर से साइक्लोन 'नरगिस' आया, पोत बचाने के क्रम में फीडर वेसेल से गिर गया। इस घटना की जानकारी 25.06.2008 को मिली एवं तद्नुसार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को पूरी क्षतिपूर्ति करने के लिए मामला दायर किया गया है।

20. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ए), 3(बी) एवं 3(सी) के तहत यथा अपेक्षित खुलासा निम्नवत है।

प्रभाव एवं कारणों सहित उप धारा (3सी) में यथा उल्लिखित लेखामानक से विचलन निम्नानुसार है।

(क) तैयार एवं अर्द्ध तैयार माल की वस्तुसूची का मूल्यन कुछ मामलों में एएस–2 के अनुरूप नहीं किया गया है, फलत: रकम ज्ञात नहीं है।

(ख) शुद्ध उत्पादन का लेखाबद्ध कुछ मामले में जैसा कि टिप्पणी सं. 9 में उल्लिखित है एएस–9 के अनुरूप नहीं है, क्योंकि माल डिस्पैच किया जा चुका है और ग्राहकों ने स्वीकार कर लिया है तथा हमारे बिल के विरुद्ध बिक्री कर के साथ भुगतान विमुक्त किया जा चुका है।

21. पिछले वर्ष के आंकड़ों की वर्तमान वर्ष के साथ तुलना करने के लिए यथासंभव पुनवर्गीकरण, नया स्वरूप एवं नये सिरे से क्रमबद्धता प्रदान की गई है।

22. अनुसूची 1 से 25 एवं लेखा नीति के ब्योरे इन लेखाओं के अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक 1

अनुसूची '25' के नोट न. 08 का अनुलग्नक

सुक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के नाम जिनका 45 दिनों से अधिक से रु. 1.00 लाख से ज्यादा बकाया है।

1. भोला इंडस्ट्रीज
2. सुवर्ण रेखा इंटर प्राइजेज
3. न्यू स्टेण्डर्ड इंजीनियरिंग वर्क्स
4. ट्रान्सगिज इंटरप्राइसेस
5. इलेक्ट्रोनिक एण्ड पावर कन्ट्रॉल
6. इस्टर्न इंजीनियरिंग सिंडिकेट
7. जॉय इंजीनियरिंग वर्क्स
8. आर. एन. सिंह एण्ड कं.
9. सकलदीप इंजीनियरिंग वर्क्स
10. डे ब्रदर्स

अनुलग्नक-2

अनुसूची - ''25'' की टिप्पणी सं. 11 का अनुलग्नक

कर्मचारी हित लाभ

(अ) कंपनी ने 31 मार्च, 2008 को कर्मचारी हित लाभ के दायित्व आईसीएआई द्वारा निर्गत पुनरीक्षित लेखामानक-15 कर्मचारी हित लाभ के अनुसार निर्धारित किया है एवं 31 मार्च, 2008 तक की अवधि से संबंधित रु. 284.41 लाख की राशि कथित मानक के रूप में संचित हानि से समायोजित किया है।

(ब) परिभाषित हित लाभ योजना - 31 मार्च 2008 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार

रु. लाख में

			ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	सेवानिवृत्त यात्रा भत्ता	बीमारी अवकाश
(अ)	31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा के ब्योरे में मान्यता प्राप्त व्यय					
	1.	चालू सेवा लागत	173.65	55.04	2.21	40.59
	2.	व्याज लागत	381.85	184.40	0.00	0.00
	3.	वर्ष के दौरान चिह्नित शुद्ध बीमांकिक (लाभ/हानि)	(148.37)	(151.82)	207.61	532.32
	4.	कुल व्यय	407.13	87.62	209.82	572.91
(ब)	तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पत्ति / (दायित्व) की मान्यता					
	1.	दायित्व के वर्तमान मूल्य	4633.05	2184.68	209.82	572.91
	2.	फंड की स्थिति [(अधिशेष/घाटा)]	(4633.05)	(2184.68)	(209.82)	(572.91)
	3.	तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पति/दायित्व को मान्यता	(4633.05)	(2184.68)	(209.89)	(572.91)
(स)	31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन					
	1.	1 अप्रैल, 2007 को दायित्व के वर्तमान मूल्य	4773.17	2304.95	0.00	0.00
	2.	चालू सेवा लागत	173.65	55.04	2.21	40.59
	3.	व्याज लागत	381.85	184.40	0.00	0.00
	4.	भुगतान किया गया हित लाभ	(547.25)	(207.89)	(8.91)	0.00
	5.	दायित्व पर बीमांकिक (लाभ/हानि)	(148.37)	(151.82)	207.61	532.32
	6.	31 मार्च, 2008 को दायित्व का वर्तमान मूल्य	4633.05	2184.68	200.91	572.91
(द)	बीमांकिक खपत					
	1.	बट्टा दर	8.00%	8.00%	8.50%	8.50%
	2.	क्षतिपूर्ति में वृद्धि दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
	3.	घातक दर	एलआईसी (1994-46) पटल			

अनुलग्नक–3

अनुसूची – ''25'' की टिप्पणी सं. 16 का अनुलग्नक

विभिन्न व्यवसाय यूनिटों के संबंध में सूचनाएँ (खंड)

रु. लाख में

	फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट	हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	हेवी मशीन टूल्स प्लांट	प्रोजेक्ट	एच.ई.सी. लि.
राजस्व					
बाह्य बिक्री	4890.12	26029.86	3870.05	6502.36	41292.39
अन्तर प्लांट/अपने उपयोग के लिए सम्पन्न कार्य	5547.38	564.80	199.61	24.16	6335.95
कुल राजस्व	10437.50	26594.66	4069.66	6526.52	47628.34
परिणाम					
शुद्ध लाभ (व्याज से पहले)	– 2608.17	4979.70	– 27.07	386.00	2730.46
व्याज	1181.21	1318.56	247.22	0.00	2746.99
साधारण कार्यकलापों से लाभ	– 3789.38	3661.14	– 247.29	386.00	— 16.53
पूर्व अवधि आय	646.66	– 246.03	32.51	0.00	433.14
शुद्ध लाभ	– 3142.72	3415.11	– 241.78	386.00	416.61
अन्य सूचना					
खण्ड परिसम्पत्तियाँ	9981.30	15344.61	3707.76	3159.41	32193.08
वर्ष के दौरान परिवर्धन	745.44	33.21	13.24	0.00	791.89
अनावंटित परिसम्पत्तियाँ					5241.70
कुल परिसम्पत्तियाँ					38226.67
खंड देयताएं	37407.88	11896.62	2024.09	1733.90	53062.49
अनावंटित देयताएं					14440.82
कुल देयताएं					67503.31
पूंजीगत व्यय	2267.69	54.50	13.24	0.00	2335.43
अनावंटित पूंजीगत व्यय					63.80
कुल पूंजीगत व्यय					2399.23
मूल्य ह्रास	226.56	43.62	41.02	0.00	311.20
अनावंटित मूल्य ह्रास					62.71
कुल मूल्य ह्रास					373.91

कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची (VI) के भाग II के प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त सूचना

(ए) उन कर्मचारियों का विवरण जो पूरे वर्ष भर नियोजित थे एवं जिनका वार्षिक पारिश्रमिक (लाभों सहित) 24 लाख रूपये या इससे ज्यादा था या ऐसे कर्मचारी जो एक वर्ष से कम समय के लिए नियोजित थे एवं जिनका मासिक पारिश्रमिक (लाभों सहित) दो लाख रूपये या इससे ज्यादा था।

(रूपये लाख में)

चालू वर्ष	विगत वर्ष
शून्य	शून्य

(बी) क्षमता तथा उत्पादन

	अधिकृत क्षमता		स्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन	
	2007–2008	2006–07	2007–2008	2006–07	2007–2008	2006–07
	III/II	III/II				
	मैट्रिक टन में	मैट्रिक टन में	मैट्रिक टन	मैट्रिक टन	मैट्रिक टन	मैट्रिक टन
निर्मित वस्तुएं						
एफ. एफ. पी.						
जी. आई. कास्टिंग्स	33,345	33,345	33,345	33,345	1,229	1,079
स्टील कास्टिंग्स	40,182	40,182	40,182	40,182	4,860	3,821
फोर्जिंग एवं फोर्ज्ड रोल्स	41,463	41,463	41,463	41,463	6,516	6,951
एन. एफ. कास्टिंग्स	700	700	700	700	97	48
जी. आई. मोल्डस्	1,110	1,110	1,110	1,110	162	217
स्टील इनगोट्स, कोर एवं सिन्थेटिक आयरन	40,000	40,000	40,000	40,000	5,961	7,414
रोल्स (जी. आई. तथा स्टील)	17,740	17,740	17,740	17,740	0	0
	174,540	174,540	174,540	174,540	18,825	19,530

टिप्पणी : उत्पादन आंकड़ों में आन्तरिक उपयोग के उत्पादन शामिल है और प्रत्येक कर्मशाला के लाइसेन्स के अनुसार उत्पादन इंगित किये गये हैं। कुछ निर्मित वस्तुओं का उपयोग अन्य शॉप में आदान (इनपुट) के रूप में होता है। उत्पादन आंकड़े प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है।

एच. एम. बी. पी.						
मेटालर्जिकल मशीनरी तथा उपकरण	80,000	80,000	80,000	80,000	8877	7379
स्ट्रकचरल्स	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0
	105,000	105,000	105,000	105,000	8877	7379

टिप्पणी : 1. उत्पादन आंकड़े प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है।
2. उपर्युक्त कुल उत्पादन आंकड़े विक्रय एवं समापन स्टॉक के योग में प्रारंभिक स्टॉक को घटाने के पश्चात् निकाले गये हैं।
3. वास्तविक उत्पादन में अन्य पार्टियों को दिये गये कार्यों तथा अन्य संभारकों के प्रेषण शामिल है।
4. उत्पादन आंकड़ों में आंतरिक उपयोग के उत्पादन सम्मिलित हैं।

टर्न की परियोजना : कान्ट्रेक्ट की संख्या – 1 अदद	6,502.36	2,024.01

एच. एम. टी. पी.						
मशीन औजार, उपसाधन						
अतिरिक्त पुर्जे तथा अन्य उत्पाद	10,000	10,000	10,000	10,000	410.17	537.71
शामिल है मशीनरी	06 अदद	(विगत वर्ष 4 अदद)				
शामिल है विशेष उपसाधन एवं कार्य–हेतु (जाविंग)	333 अदद	(विगत वर्ष 418 अदद)				

टिप्पणी : 1. उत्पादन आँकड़ें प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है।

(सी) कुल बिक्री

(रुपये लाख में)

	परिमाण मैट्रिक टन में		कम प्रति लाभ बिक्री अधिमूल्य	
	2007–08	2006–07	2007–08	2006–07
एफ. एफ. पी.				
जी. आई. कास्टिंग्स	383.32	49.00	197.02	80.28
स्टील कास्टिंग्स	991.00	801.06	786.21	647.06
फोर्जिंग एवं फोर्ज्ड रोल्स	1871.47	2461.33	2,832.36	3765.59
निर्यात विक्रय	0.00	0.00	0.00	0.00
रोल्स	0.00	0.00	0.00	0.00
कोल टार	0.00	0.00	490.29	392.96
उत्पाद शुल्क प्राप्त	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,245.79	3,311.39	4,305.88	4,885.89

टिप्पणी : बिक्री छोड़कर उत्पाद शुल्क 584.24 लाख रु. (विगत वर्ष 646.30 लाख रु.) अन्तर इकाई हस्तान्तरण एवं आंतरिक उपयोग हेतु आइटम।

एच. एम. बी. पी.				
मेटलर्जिकल मशीनरी तथा उपकरण	8593.20	7230.50	22612.78	17395.62
	8593.20	7230.50	22612.78	17395.62
टर्न की परियोजना	1 अदद	1 अदद	6502.36	2024.01
एच. एम. टी. पी.				
मशीन टूल्स 06 अदद	353.80	304.40	2,592.70	1,566.56
(विगत वर्ष 6 अदद)				
विशेष उपसाधन तथा कार्य	98.50	147.23	870.61	810.10
हेतु जॉविंग (333 अदद)				
(विगत वर्ष 418 अदद)	452.30	451.63	3,463.31	2,376.66

(डी) निर्मित वस्तुओं का स्टॉक

निर्मित वस्तुए	प्रारंभिक स्टॉक (01.04.2007) परिमाण (मैट्रिक टन में)	मूल्य (रुपये लाख में)	समापन स्टॉक (31.03.2008) परिमाण (मैट्रिक टन में)	मूल्य (रुपये लाख में)
एफ. एफ. पी.				
जी. आई. कास्टिंग्स	0.00	0.00	13.50	6.49
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
स्टील कास्टिंग्स	1.35	0.08	0.00	0.00
	(84.35)	(5.24)	(1.35)	(0.08)
स्टील फोर्जिंग्स तथा फोर्ज्ड रौल्स	15.97	59.36	25.19	26.78
	(1.92)	(0.12)	(15.97)	(59.36)
उपोत्पाद (बाई-प्रोडक्ट्स) कोलटार	400.00	39.49	46.97	6.99
	(174.52)	(15.10)	(400.00)	(39.49)
	417.32	98.93	85.66	40.26
	(260.79)	(20.58)	(417.32)	(98.93)
एच. एम. बी. पी.				
मेटालर्जिकल मशीनरी तथा उपकरण	574.46	594.55	858.33	1190.26
	(426.04)	(367.14)	(574.46)	(594.55)
	574.46	594.55	858.33	1,190.26
	(426.04)	(367.14)	(574.46)	(594.55)

टिप्पणी : 1. उत्पाद शुल्क के 204.86 लाख रूपये (विगत वर्ष 112.97 लाख रूपये) को समापन स्टॉक के मूल्य में नहीं लिया गया है।

	परिमाण	(मैट्रिक टन में)	मूल्य (रुपये लाख में)	परिमाण	(मैट्रिक टन में)	मूल्य (रुपये लाख में)
एच. एम. टी. पी.						
मशीन टूल्स	0 अदद	0.00	0.00	0 अदद	0.00	0.00
	(0 अदद)	(0.00)	(0.00)	(0 अदद)	(0.00)	(0.00)
विशेष उपसाधन तथा	8 अदद	17.120	20.66	11 अदद	22.83	27.54
अतिरिक्त पुर्जे और कार्य हेतु (जॉबिंग)	(9 अदद)	(17.900)	18.04	(8 अदद)	(17.120)	(20.66)
	8 अदद	17.120	20.66	11 अदद	22.83	27.54
	(9 अदद)	(17.900)	(18.04)	(8 अदद)	(17.12)	(20.66)

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े विगत वर्ष के हैं।

(ई) कच्चे माल की खपत

(खरीदी गयी वस्तुएँ तथा सीधे प्रेषणों सहित) (रुपये लाख में)

वस्तुएँ		2007–08 परिमाण	2007–08 मूल्य	2006–07 परिमाण	2006–07 मूल्य
एफ. एफ. पी.					
एलाय स्टील	मैं. ट.	317.78	174.99	353.12	198.65
फेरस एवं फेरो एलाय	मैं. ट.	10579.72	2,302.75	9598.58	2051.01
नन–फेरस एलाय	मैं. ट.	154.92	450.18	121.40	240.58
क्रैंक शाफ्ट		88.96	390.80	100.80	464.77
लकड़ी	घन. मी.	52.77	31.29	47.97	25.12
	वर्ग फी.	9163.49	0.00	8329.97	0.00
			3,350.01		2980.13
एच. एम. बी. पी.					
ग्रे आयरन कास्टिंग्स	मैं. ट.	155.66	108.23	143.73	110.82
स्टील कास्टिंग्स	मैं. ट.	2353.60	2,242.24	1873.60	2066.40
स्टील फोर्जिग्स	मैं. ट.	1505.61	2,331.83	1244.43	2262.72
नन–फेरस कास्टिंग्स	मैं. ट.	59.48	503.41	26.93	244.16
स्टील प्लेट्स प्रोफाइल्स और अन्य समान	मैं. ट.	4075.91	1,669.06	2959.70	857.95
अवयव/उपसाधन एवं पूर्ण वस्तुएँ सहित सीधे डिस्पैच एवं आयातित	अदद	2347.00	1,082.66	436.00	478.88
विविध (जी.आर. ९९)	लीटर	9508.00	537.94	63.88	209.87
	मैं. ट.	1239.69	-	273.58	-
	मीटर	10,325.00	-	10098.00	-
	अदद	10.00	-	5168.00	-
फेब्रीकेटेड वस्तुएँ	अदद	3,22,939.00	352.74	34204.00	208.94
मशीनरी पुर्जे	मीटर	23,487.45		313921.97	-
अतिरिक्त पुर्जे	के.जी.	3895.12		4211.30	
बोल्ट, नट और औजार इत्यादि	वर्ग. मैं. ट.	114.66		44.30	
विद्युत सामग्री	मीटर	91243.50	2,851.67	1547.42	2883.98
	अदद	2590.07		711.39	
	केजी	52157.00		1220.89	
बियरींग्स	अदद	3187.00	195.83	4428.00	232.33
		योग	11,875.61		9556.05
एच. एम. टी. पी.					
कास्टिंग्स (स्वदेशी)	अदद 13335		592.85	973	773.31
अवयव (आयातित)	अदद 234		396.02	306	432.39
विविध वस्तुएँ (स्वदेशी)	अदद 426776		575.45	194360	427.15
			1,564.32		1632.85

कच्चे माल, अवययों, भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों की खपत मूल्य
(तैयार माल की खरीद सहित) तथा उनकी प्रतिशतता

(रुपये लाख में)

	2007-08		2006-07	
	मूल्य	%	मूल्य	%
(ए) कच्चे माल				
(1) आयातित	1190.03	7.09	1044.21	7.37
(2) स्वदेशी	15601.95	92.91	13124.82	92.63
योग	16,791.98	100.00	14169.03	100.00
(बी) भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे (मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए प्रयोग में लाये गए भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे सहित)				
(1) आयातित	114.53	1.66	124.46	3.62
(2) स्वदेशी	6793.85	98.34	3313.12	96.38
योग	6908.38	100.00	3437.58	100.00

टिप्पणी : * निर्धारित एजेन्सियों द्वारा आयातित वस्तुओं को छोड़कर

(एफ) सी. आई. एफ. के आधार पर आयात का मूल्य

	2007-08	2006-07
कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जे एवं		
अवयव	1325.80	1341.81
पूंजीगत वस्तुएँ	1783.60	0.00
योग **योग**	3109.40	1341.81

एच. एम. बी. पी. के मामले में कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स के सी. आई. एफ. मूल्य में सामग्री का दाम एवं सामग्री दाम का 5.5 प्रतिशत बीमा और भाड़ा के लिए सम्मिलित है।

(जी) विदेशी मुद्रा में व्यय

	2007-08	2006-07
तकनीकी जानकारी हेतु शुल्क	0.00	43.77
निदेशकों तथा पदाधिकारियों का		13.90
विदेश यात्रा-भत्ता	10.59	
योग	10.59	57.67

(एच) विदेशी मुद्रा में आय

	2007-08	2006-07
एफ. ओ. बी. आधार पर गणना की		
गयी निर्यात वस्तुएँ	0.00	0.00
योग	0.00	0.00

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

(रुपये लाख में)

लेखा के अंश के रूप में अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना
तुलन-पत्र सारांश और कंपनी के सामान्य कारोबार का प्रोफाइल

1. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या

0	0	0	6	3	0

राज्य कोड

	0	3

तुलन-पत्र की तिथि

3	1	0	3	0	8

तिथि माह वर्ष

2. वर्ष के दौरान पूंजी वृद्धि

पब्लिक इश्यू

शू		न्य

राइट इश्यू

शू		न्य

बोनस इश्यू

शू		न्य

प्राइवेट प्लेसमेंट

शू		न्य

3. निधियों के मोबिलाइजेशन और डिप्लवायमेंट की स्थिति

कुल देयताएँ

	7	9	6	8	0

कुल परिसम्पत्तियाँ

	7	9	6	8	0

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी

4	5	3	2	4

आरक्षित स्वं अधिशेष

1	2	0	6	4

प्रतिभूत ऋण

	8	1	9	6

अप्रतिभूत ऋण

	1	4	0	9	6

निधियों के उपयोग

निवल अचल परिसम्पत्तियाँ

	8	6	4	5

निवेश

				1

निवल चालू परिसम्पत्तियाँ

-	3	7	9	2	2

विविध व्यय

	6	5	8

संचित हानि

1	0	8	2	9	8

4. कंपनी का निष्पादन

टर्न ओवर

4	1	2	9	2

कुल व्यय

4	0	8	7	5

कर के पूर्व लाभ/हानि + –

			4	1	7

कर के पश्चात लाभ/हानि + –

			4	1	7

प्रति शेयर आमदनी (रुपयों में)

	0	9

लाभांश दर %

	शू	न्य

5. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के व्यापक नाम (आर्थिक दृष्टि से)

वस्तु कोड संख्या
(आई.टी.सी.कोड)

उत्पाद विवरण

स्टील प्लांट /

माईनिंग इक्वीपमेन्ट

वस्तु कोड संख्या
(आई.टी.सी.कोड)

उत्पाद विवरण

स्टील कास्टिंग्स,

फोर्जिंग्स और रौल्स

वस्तु कोड संख्या
(आई.टी.सी.कोड)

उत्पाद विवरण

हेवी मशीन टूल्स

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण सुनाम संस्थान के लेखा सदृश पुरानी लागत प्रथा एवं लेखाकरण जमा प्रणाली के अनुसार तैयार किये गये हैं जो समान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्त के अनुरूप है।

2. **अचल परिसम्पत्तियां**

   (i) अचल परिसम्पत्तियां (राज्य सरकार से प्राप्त भूमि को छोड़कर) अर्जन लागत या संचित अवमूल्यन रहित निर्माण के आधार पर उल्लिखित है।

   (ii) भूमि राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त की गई जिसे नाम मात्र रु. 1/- प्रति एकड़ की लागत पर खाते में दर्शाया गया है।

3. **वस्तुसूची मूल्यन**

   (i) वस्तुसूची का मूल्यन, वास्तविक/प्राक्कलित लागत या शुद्ध प्राप्य कीमत, इनमें जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

   (ii) तैयार माल एवं चालू कार्य का मूल्यन, वास्तविक/प्राक्कलित कारखाना लागत या शुद्ध कीमत, इनमें जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

   (iii) कच्चे माल, उपस्कर, फुटकर औजार, सामग्री, अतिरिक्त पुरजों का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

   (iv) आइटम जो सामान्यतया अन्तर परिवर्तनीय नहीं हैं, तथा जो उत्पादित माल या सेवाएँ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पृथक किये गये हों का मूल्यन, वैयक्तिक लागत की विशिष्ट पहचान पर किया जाता है।

   (v) अस्वीकृत एवं रद्दी मालों का मूल्यन समापन खाता दर पर होता है, जहाँ कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है।

   (vi) उप उत्पादों का मूल्यन बाजार दर पर होता है।

   (vii) चालू कार्य के पूरा करने का प्रतिशत अर्थात् चालू कार्य के समापन का स्तर तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर शॉप प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

   (viii) शॉप में निर्गत फुटकर औजारों, रेखांकन औजारों आदि को तकनीकी आधार पर बट्टे में डालकर वस्तुसूची में दिखाया गया है अर्थात् साधारण औजारों को 4 वर्ष में, विशेष औजारों को 10 वर्षों में, मोल्ड्स को 2 वर्ष में एवं अन्य औजारों को प्राक्कलित जीवन के आधार पर बट्टे में डालकर वस्तुसूची में रखा जाता है। पैटर्न की कीमत उसके निर्गत वर्ष में दर्शायी जाती है। इन वस्तुओं का यथा-संभव व्यवहार्य केवल परिमाणात्मक रिकार्ड रखा जाता है।

4. **राजस्व पहचान**

   (i) जब महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व का लाभ ग्राहकों के पास अंतरण होता है तो बिक्री रिकार्ड की जाती है। दीर्घकालीन संविदाओं के लिए आंशिक आपूर्तियाँ, जिनके बिल दिए गए हैं का मूल्यन, संविदा मूल्य या अनन्तिम मूल्य पर किया गया है। ऐसे डिस्पैच जिसके लिए चालान एवं गेट पास निर्गत किये गये हैं, लेकिन बिल नहीं दिए गये हैं, को बिल रहित बिक्री के रूप में संविदा या औपबंधिक मूल्य के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

   (ii) संविदा पर वृद्धि युक्तिसंगत ढंग से सुनिश्चित कर प्रासंगिक संविदा की शर्तों के अनुरूप लेखाबद्ध किया गया है, जिसकी सम्पुष्टि / स्वीकृति ग्राहकों द्वारा होनी है। संविदा के प्रावधान या ग्राहकों द्वारा साक्ष्य स्वीकृति के बाद विभिन्नताओं को लेखाबद्ध किया गया है।

   (iii) बिक्री को उत्पाद शुल्क सहित परन्तु बिक्री कर रहित लेखाबद्ध किया गया है।

5. **दीर्घकालीन टर्न की संविदाएँ**

   (i) राजस्व पहचान

   ''कार्य समापन की प्रतिशतता'' की अवस्था के आधार पर कार्य के विभिन्न मदों हेतु प्रावैधिक मूल्यांकन के यथानुसार किए गए कार्य के लिए संविदा के भुगतान की शर्तों के अनुसार वृद्धि समेत बिल की मात्रा को तब बिक्री के रूप में पहचान की गई है, जब संविदा की प्रगति संविदा मूल्य का 30% या अधिक हो।

   (ii) चालू कार्य का मूल्यन

   संविदा कार्य के प्रमाणित मूल्य की सीमा तक, वर्षानुवर्ष चालू-कार्य पर किए गए वृद्धि समेत व्यय को, संबंधित संविदा के अन्तर्गत बिक्री में दिखाई गई राशि को घटाने के बाद चालू कार्य में लेखाबद्ध किया गया है।

   (iii) हानि के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, यदि कोई निष्पादित किए जाने वाले कार्य हैं।

6. **वारंटी प्रावधान**

   बिक्री पर 0.5% का प्रावधान वारंटी/संविदात्मक वाध्यताओं के आधार पर संविदात्मक वाध्यता/वारंटी व्ययों के तहत किया गया है, जिसे भार ग्रहण के वर्षों में स्वाभाविक शीर्षों के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है।

7. **कर्मचारी लाभ**

   दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ, कर्मचारी की सेवा प्रारम्भ करने की तिथि से बारह महीने के उपरांत देय अस्वस्थय अवकाश एवं सेवानिवृति लाभ जैसे उपदान, सेवानिवृत यात्रा भत्ता और अवकाश नकदीकरण की गणना वार्षिक तीसरी पार्टी बीमांकिक मूल्यन के आधार पर योजनागत यूनिट क्रेडिट प्रक्रिया के द्वारा छूट देकर की गई है एवं अवकाश यात्रा भत्ता (पात्र कर्मचारी हेतु) की गणना प्राक्कलित आधार पर की गई है।

   दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ, तुलन पत्र में पहचान की गई है जो दायित्व को वर्तमान मूल्य प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि अचिंहिन्त विगत सेवा कीमत के लिए समायोजित किया गया है, यदि कोई है। योजनागत परिसम्पत्ति के उचित मूल्य द्वारा कमी के अनुरूप जहाँ लागू है, किया गया है तथा बीमांकिक लाभ / हानि लाभ और हानि लेखा में एक सीमा तक पहचान की गई है।

बीमांकिक लाभ एवं हानि को संक्रमण दायित्व के अचिहिन्त भाग से अधिक की सीमा तक लाभ और हानि लेखा में पहचान की गई है।

दीर्घकालीन कर्मचारी हित लाभ के संबंध में संक्रमण दायित्व को पाँच वर्षो से अधिक की अवधि तक सीधी पंक्ति आधारित व्यय के रूप में पहचान की गई है।

उपदान और नकदीकरण अवकाश की व्यवस्था तुलन पत्र तिथि के आंकड़ों के आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

8. अवमूल्यन

कंपनी अधिनियम की अनुसूची XIV में उपबंधित दर के अनुसार सीधी रेखा विधि के आधार पर अचल सम्पत्ति पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है तथा वर्ष के दौरान अचल संपत्ति में वृद्धि/कटौती के सम्बन्ध में यथानुपात मासिक आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है। जहाँ प्लांट एवं मशीनरी तथा प्लांट बिल्डिंग की नींव के लागत ब्योरे उपलब्ध नहीं वहाँ प्लांट बिल्डिंग पर लागू दर से अवमूल्यन प्रभारित है।

9. विविध देनदार

इसमें ऐसे बिल शामिल है जिनका मूल्य निर्धारण लम्बित होने तथा ग्राहकों से औपचारिक आदेश न होने के कारण बिल अनन्तिम दर पर दिए गए हैं तथा प्रेषणों के ऐसे मूल्य भी हैं, जिनके प्रासंगिक संविदा के लिए प्राप्त अग्रिम/प्रगति अदायगी के यथानुपात आधार पर समंजन के उपरांत बिल नहीं बनाए गए हैं।

10. सहायता अनुदान

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को इसी मद में खर्च किया गया। सहायता अनुदान के अव्ययित शेष राशि को चालू देयता के शीर्षाधीन बाद के वर्षों के लिए अग्रेनीत किया गया। अन्य राजस्व के लिए प्राप्त अनुदान को तत्संबंधित वर्षों में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया है।

11. निवेश

एक वर्ष से अधिक समय के लिए किए गये/किये जाने वाले (अर्थात् दीर्घकालीन) निवेश का मूल्यन लागत में से मूल्य की गिरावट (अस्थिर गिरावट को छोड़कर) को घटाकर किया जाता है। चालू उद्धृत निवेश का मूल्यन लागत या बाजार मूल्य (इनमें से जो कम हो) पर किया जाता है।

12. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित मुख्य व्यय को भार ग्रहण करने के वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा के अन्तर्गत प्रभारित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास संबंधी स्थायी परिसम्पत्तियों पर किए गए व्यय का प्रतिपादन अन्य सामान्य स्थायी परिसंपत्तियों पर किए गये व्यय के अनुरूप ही किया जाता है। ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास अन्य अनुसंधान एवं विकास व्यय के साथ दर्शाया गया है।

13. विदेशी मुद्रा के लेन-देन

आस्थगित उधार अदायगी समेत विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित मौद्रिक परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तुलन पत्र तिथि के अनुसार बकाया शेष को वर्षान्त की दर पर परिवर्तित किया गया है। वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तथा प्राप्य लाभ और विदेशी मुद्रा के लेन-देन में हानि के परिवर्तन में अंतर को अचल सम्पत्ति के अर्जन से सम्बन्धित जो अचल सम्पत्ति की लागत में समंजन किए गए हैं, उसे छोड़कर लाभ एवं हानि लेखा में लेखाबद्ध किया गया है।

14. आस्थगित राजस्व व्यय

किसी उत्पाद के लिए तकनीकी ज्ञान, दस्तावेज और प्रतिवेदन के रूप में विदेशी सहयोग के लिए एक मुश्त अदायगी को आस्थगित राजस्व व्यय के समान माना जाता है एवं पांच वर्षों में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

15. कंपनी द्वारा/के लिए दावे

(i) संविदाओं के अनुसार देय परिनिर्धारित नुकसानी को अभिनिश्चयन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है तथा विशेष नुकसानी के मामलों व कम्पनी द्वारा विवादित दावों के लिए युक्तिसंगत प्राक्कलन के आधार पर कम्पनी द्वारा प्रावधान किया गया है।

(ii) वसूल की गई परिनिर्धारित नुकसानी वसूली के तीन वर्ष उपरांत आय के रूप में पहचान की गई है।

(iii) निर्यात प्रोत्साहनों, रेलवे एवं बीमा दावे, विविध निपटान योग्य सामग्रियों तथा विशेष स्क्रैपों की बिक्री, उत्पाद एवं सीमा शुल्क की वापसी तथा अन्य सदृश मदों से प्राप्त आय को राशि के अभिनिश्चयन तथा उनका प्राप्य/दावा की निश्चितता के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

16. अन्तरप्लांट लागत आवंटन

(I) निम्नांकित व्यय निम्नवत वर्णित आधार पर विभिन्न प्लांटों में आवंटित किए गये हैं :

(अ)	मुख्यालय व्यय (शुद्ध)	- प्रत्येक प्लांट के बजटीय उत्पादन।
(ब)	टाउनशिप व्यय (शुद्ध)	- प्रत्येक प्लांट के आवंटित आवासों की संख्या।
(स)	ब्याज	- पूर्ववर्त्ती वर्ष में प्रत्येक प्लांट द्वारा वास्तविक नगद राशि का उपयोग।
(द)	के.औ.सु. बल पर व्यय	- प्रत्येक प्लांट में के.औ.सु. बल के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति।

17. वस्तुसूची

भंडार के अचल वस्तु-सूची का विश्लेषण समय-समय पर किया गया है। प्रत्यक्ष सत्यापन में पाई गई अधिशेष सामग्री को या तो निपटान कर दिया गया है या उसके वैकल्पिक उपयोग के लिए समीक्षा की गई है। यदि कोई हानि हो, तो निश्चित होने पर लेखाबद्ध किया गया है।

कंपनी की कार्यक्षमता

प्लांट विविध उत्पादों का निर्माण करने में समर्थ है, जिसमें कुछ उत्पादों का विवरण निम्नांकित है :

फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट (आई.एस.ओ. - 9001:2000 यूनिट)

आयरन कास्टिंग्स	:	100 टन वजन तक
स्टील कास्टिंग्स	:	90 टन वजन तक
नन-फेरस कास्टिंग्स	:	2 टन वजन तक
फोर्जिंग्स	:	40 टन वजन तक
रॉल्स	:	हॉट रॉलिंग मिल, स्लैबिंग मिल, ब्लोमिंग मिल हेतु 40 टन वजन तक फोर्ज्ड इंडक्शन हारडेन्ड रॉल्स, एस.जी., आयरन रॉल्स

हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (आई.एस.ओ. - 9001:2000 यूनिट)

- ब्लास्ट फर्नेस : क्षमता 1719, 2000 एवं 3200 घन मी.
- कोक ओवेन बैटरिज : 4.3 से 7 मी. की ऊँचाई
- सिन्टरिंग प्लांट्स : आकार 75 वर्ग मी., 80 वर्ग मी., 252 वर्ग मी. एवं 312 वर्ग मी.
- 100 टन/130 टन एवं 300 टन एल.डी. कन्वर्टर्स समेत स्टील मेल्टिंग शॉप इक्वीपमेंट
- कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन : स्लैब्स एवं ब्लूम्स हेतु
- रॉलिंग मिल इक्वीपमेंट
- इलेक्ट्रीक रोप शॉवेल्स : क्षमता 5 घन मी., 10 घन मी., 12.5/15 घन मी.
- हाइड्रोलिक शॉवेल्स : क्षमता 3 से 8 घन मी.
- वाकिंग ड्रैगलाइन्स 20/90 एवं 24/96
- उच्च शक्ति के मेटालर्जिकल क्रेन एवं अन्य ई.ओ.टी. क्रेन : क्षमता 450 टन एवं रोटेटिंग टौंग क्रेन
- मैटेरियल हैण्डलिंग इक्वीपमेंट यथा - वैगन टीपलर, एपरॉन फीडर, रिक्लेमर्स आदि
- मूल उद्योगों की जरूरत हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण यथा - प्राइमरी जाइरेटरी एवं अन्य क्रसर्स
- ओवर बर्डेन ब्लॉस्ट होल ड्रील्स : 250 मि.मी. व्यास
- प्रोजेक्ट डिवीजन निम्नांकित क्षेत्रों में टर्न-की आधारित प्रोजेक्टों का कार्य निष्पादन करने में समर्थ है :
  - — मैटेरियल हैंडलिंग सिस्टम
  - — कोल डीसेलिंग वासरी
  - — कोल डीगैसीफिकेशन प्लांट
  - — स्टील प्लांट फैसिलिटीज यथा : सिन्टरिंग प्लांट, कन्टीन्यूअस कास्टिंग प्लांट एवं कोक ओवेन बाई-प्रोडक्ट प्लांट
  - — सीमेंट प्लांट

हेवी मशीन टूल्स प्लांट (आई.एस.ओ. - 9001-2000 यूनिट)

रेलवे हेतु विशेष प्रयोजनार्थ मशीन टूल्स समेत विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स, इसके साथ-साथ प्लांट कुछ मॉडल के सी.एन.सी. मशीन के उत्पादन में भी समर्थ है।

CAPABILITIES OF THE COMPANY

The plants can manufacture various products, some of which are as here under :

FOUNDRY FORGE PLANT (ISO 9001:2000 Unit)

Iron Casting	-	Weighing upto 100 T
Steel Casting	-	Weighing upto 90 T
Non-ferrous Castings	-	Weighing upto 2 T
Forgings	-	Weighing upto 40 T
Rolls	-	Forged Induction hardened Rolls weighing upto 40 T for Hot Rollings Mills, Slabbing Mills, Blooming Mills, SG Iron Rolls etc.

HEAVY MACHINE BUILDING PLANT (ISO 9001:2000 Unit)

- Blast Furnace of Capacity 1719,2000 and 3200 Cu.M
- Coke Oven Batteries from 4.3 to 7 M height
- Sinter Plants of 75 M2, 80M2, 252 M2 and 312 M2 size
- Steel Melting Shop Equipment inclusive of 100T / 130 T and 300 T L.D. Converters
- Continuous Casting Machines for Slabs & Blooms
- Rolling Mill Equipment
- Electric Rope Shovels of capacity 5 M3, 10M3, 12.5/15 M3
- Hydraulic Shovels of 3 to 8 Cu. M. capacity
- Walking Draglines 20/90 and 24/96
- Metallurgical Cranes and other EOT Cranes of high capacities up to 450 T and Rotating Tong Cranes
- Material Handling equipment namely, Wagon Tippler, Apron Feeder, Reclaimers etc.
- Various other equipment namely, Primary Gyratory and other Crushers needed by core sector industries.
- Over Burden Blast Hole Drills - Dia. 250 mm
- The Project Division can take up execution of projects of trunkey basis in the following areas
  - — Material Handling System
  - — Coal Deshelling Washery
  - — Coal Degasification Plant
  - — Steel Plant facilities like Sintering Plant, Continuous Casting Plant and Coke Oven By-Product Plant
  - — Cement Plants

HEAVY MACHINE TOOLS PLANT (ISO 9001-2000 Unit)

Various types of machine tools including special purpose machine tools for Railways. The Plant is capable of producing CNC Machine Tools of some models as well.

HEAD OFFICE

Ranchi :

Heavy Engineering Corporation Ltd.

P.O. : Dhurwa

Ranchi - 834 004 (India)

Fax : 91-651-2401571

Tel. : 91-651-2401504

E mail : bkumar@hecltd.com

BRANCH OFFICE

New Delhi :

Heavy Engineering Corporation Ltd.

E-84, Masjid Moth

Greater Kailash III

New Delhi - 110 048 (India)

Fax : 91-11-29220225

Tel. : 91-11-29220223, 29220224

E-mail : hecdelhi@hecltd.com

BRANCH OFFICE

Kolkata :

Heavy Engineering Corporation Ltd.

77, Park Street

Kolkata - 700 016 (India)

Fax : 91-33-22291509

Tel. : 91-33-22172397

91-33-22290661

E-mail : heckolkata@hecltd.com

Website : www.hecltd.com

(10/08) Annapurna Press, 2331800, 2330875